

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 713]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025 — भाद्र 21, शक 1947

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. — खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) ये नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “बी-1 एवं बी-2 श्रेणी की खदान” से अभिप्रेत है जो पर्यावरण नियमों में परिभाषित है;
(ख) “उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)” से अभिप्रेत है नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु नियत उच्चतम मूल्य, जिससे कमतर बोली, बोलीदारों द्वारा उद्धृत की जायेगी;
(ग) “सक्षम अधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित विभाग के अधिकारी; यथास्थिति,
(घ) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़;
(ङ) “जिला-स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर गठित अधिकारियों की समिति, जो वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्य करेगी;
(च) “इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स आक्शन)” से अभिप्रेत है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स आक्शन), जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें साधारण रेत के उत्खनन के लिये उत्खनन पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु उच्चतम निर्धारित मूल्य से घटते क्रम में एक परिमित समय-सीमा के भीतर एक चरण में प्रस्तुत बोली जैसा की इन नियमों में वर्णित है;

- (छ) “खनिज” से अभिप्रेत है साधारण रेत;
- (ज) “एनआईटी” से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना;
- (झ) “अधिमानी बोलीदार” से अभिप्रेत है नियम 7 के उप-नियम (4) के खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट बोलीदार;
- (ञ) “राजस्व अधिकारी” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (कं.20 सन् 1959) द्वारा यथा परिभाषित ऐसा अधिकारी;
- (ट) “मंजूरकर्ता प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर;
- (ठ) “रेत उपलब्धता उपबंध” से अभिप्रेत है आबंटित साधारण रेत खदान में वार्षिक रेत उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु किये गये उपबंध से होगा, जो कि अनुबंध का भाग होगा;
- (ड) “सुरक्षा निधि” से अभिप्रेत है स्वीकृत रेत खदान हेतु अनुमोदित उत्खनन मात्रा (खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) के अधीन जारी सम्मति में निर्धारित मात्रा, जो भी कम हो) के अनुसार वार्षिक राजस्व ऐसी यथा रायल्टी, डी.एम.एफ. नीलामी राशि/प्रीमियम राशि, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के 25 % के समतुल्य राशि;
- (ढ) “सफल बोलीदार” से अभिप्रेत है नियम 8 के उप-नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट बोलीदार;

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जैसा कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में उनके लिये समनुदेशित है।

3. साधारण रेत खदानों का चिन्हांकन एवं उच्चतम निर्धारित मूल्य का निर्धारण.—

- (1) जिला स्तरीय समिति कि राय के अनुसार रेत खनिज की उपलब्धता, नदी का बहाव आदि का परीक्षण कर, खनन क्षेत्र का चिन्हांकन, सीमांकन (अक्षांश एवं देशांश सहित) करा कर, जिला कलेक्टर द्वारा रेत खदान घोषित किया जायेगा।
- (2) जिला स्तरीय समिति, जिलेवार साधारण रेत के खनन एवं लदान हेतु प्रति घनमीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य सहित लोडिंग दर, रैम्प निर्माण, खदान क्षेत्र पहुंच मार्ग एवं अन्य संबंधित व्यय का निर्धारण करेगी।

(3) उच्चतम निर्धारित मूल्य में स्वामित्व, जिला खनिज संस्थान न्यास में अंशदान, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना विकास उपकर, स्रोत पर आयकर कटौती एवं अन्य कर, जो लागू हो, की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्र. 40 सन् 1996) का पालन किया जायेगा।

4. **उत्खनन पट्टे की कालावधि** —साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जायेगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना, उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से की जायेगी।

5. **बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति**—(1) सभी बोलीदारों द्वारा, नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में बोली उद्धृत करने हेतु, कार्यपालन प्रतिभूति की बीस प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करना आवश्यक होगा:

परन्तु उच्चतम निर्धारित मूल्य के पैंतीस प्रतिशत से कम बोली उद्धृत करने की दशा में, बोली प्रतिभूति की राशि, दोगुनी जमा करनी होगी।

(2) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पन्द्रह दिवस के भीतर, उसके द्वारा, रुपये एक लाख प्रति हेक्टेयर की दर से या उसके किसी भाग के लिए कार्यपालन प्रतिभूति जमा करना आवश्यक होगा। उक्त राशि, सम्पूर्ण पट्टे की कालावधि के लिये वैध बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जायेगी।

(3) अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार को छोड़कर, अन्य समस्त बोलीदारों की बोली प्रतिभूति वापस किया जायेगा। अधिमानी बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति, कार्यपालन प्रतिभूति जमा किये जाने पर वापस किया जायेगा।

6. **वर्तमान रियायत धारकों तथा आवेदकों के अधिकार**— (1) इस नियम के लागू होने की तारीख से पूर्व, उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत प्राप्त सभी आवेदन पत्र अमान्य हो जायेंगे।

(2) ऐसे प्रकरण, जो छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत अनुबंधित हैं, उन पट्टों को शेष कालावधि तक तत्समय लागू पट्टे की सभी निबंधन एवं शर्तों के अध्याधीन मान्य समझा जायेगा:

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के 60 दिवस के भीतर यदि उपरोक्त उत्खनन पट्टा धारक " रेत उपलब्धता उपबंध" का प्ररूप-एक(अ) अथवा प्ररूप-एक(ब) जो भी लागू हो, में पूरक पट्टा अनुबंध निष्पादन और पंजीयन करता है तो उनके मूल पट्टा अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि दी जा सकेगी।

(3) छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत ऐसे प्रकरण, जिनमें आशय पत्र जारी किया जा चुका है, परन्तु अनुबंध निष्पादन नहीं हुआ है, ऐसे सभी प्रकरण वैद्य माने जायेंगे:

परन्तु ऐसे प्रकरणों में, "रेत उपलब्धता उपबंध" विषयक शर्त समाहित करते हुये संशोधित आशय पत्र जारी किया जाना होगा।

7. उत्खनन पट्टा प्रदाय करने के लिये नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया.—

(1) उत्खनन पट्टे प्रदाय करने हेतु पात्रता:—

(क) बोलीकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो या कंपनी/फर्म/सोसायटी/सहकारी सोसायटी होने पर, संबंधित अधिनियमों/नियमों के अधीन पंजीकृत हो, और अन्यथा इन नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो:

परन्तु यदि बोलीदार एक कंपनी/फर्म/सोसाईटी/सहकारी सोसाईटी हो तो, कम से कम तीन चौथाई अंशधारिता, ऐसी कंपनी/फर्म/सोसाईटी/सहकारी सोसाईटी के धारक के पास होनी चाहिये, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो।

(ख) साधारण रेत की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया में भाग लेने हेतु, बोलीदार द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलिदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति या कंपनी, जो तकनीकी रूप से पात्र न हो के द्वारा प्रस्तुत बोली स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

(ग) अधिमानी बोलिदार का निर्धारण केवल तकनीकी अर्हित बोलिदारों की वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(2) इलेक्ट्रानिक-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन):—

(क) कलेक्टर, संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, पारदर्शी रीति में नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ख) नीलामी केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जायेगी।

(ग) कलेक्टर, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो कि मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक-उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो।

(3) बोली लगाने के मानक निम्नानुसार होंगे:—

(क) जिला-स्तरीय समिति, एक निश्चित राशि निर्धारित करेगी, जिसे उच्चतम निर्धारित मूल्य कहा जाएगा। यह राशि, निकास किये जाने वाले रेत के लिए प्रति घनमीटर मानक इकाई होगी।

(ख) नीलामी राशि के रूप में, राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, बोलीदार, पट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए निर्धारित रुपये प्रति घनमीटर के अनुसार उच्चतम निर्धारित मूल्य से कम राशि उद्धृत की जाएगी।

(ग) नीलामी राशि, प्रेषित किये गये रेत की मात्रा के अनुसार प्रति घनमीटर के आधार पर राज्य शासन को देय होगी।

(4) बोली लगाने की प्रक्रिया:—

(एक) कलेक्टर, नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) आमंत्रण की सूचना का, विभागीय वेबसाइट एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा संबंधित कलेक्टर कार्यालय/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय के सूचना पटल पर प्रदर्शन करेगा। कलेक्टर द्वारा जारी किये गये नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) दस्तावेजों में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:—

(क) संबंधित "राजस्व अधिकारी अथवा खनि निरीक्षक/सर्वेयर" से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र (भौगोलिक समन्वय अर्थात् अक्षांश एवं देशांश सहित) की विशिष्टियां;

(ख) क्षेत्र में उपलब्ध खनिज की जानकारी।

(दो) संभावित बोलीदारों को निविदा आमंत्रण सूचना के जारी होने के पश्चात् 21 दिन की कालावधि प्रदान करते हुए नीलामी दस्तावेजों के अध्ययन हेतु अनुज्ञात किया जायेगा। जिसके पश्चात् बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में विहित रीति में बोली उस अवधि तक स्वीकार की जायेगी, जैसा कि एनआईटी में वर्णित है।

(तीन) वह बोलीदार, जो न्यूनतम बोली प्रस्थापना देता है, उसे अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जायेगा।

(चार) यदि दो या अधिक बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप बोली की दशा में, उनके बीच इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी पद्धति के माध्यम से अधिमानी बोलीदार का चयन किया जायेगा।

(पांच) यदि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि तत्पश्चात् भी एक ही बोली प्राप्त होती है तो सक्षम प्राधिकारी को उसे स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार होगा।

(छः) लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(सात) उच्चतम निर्धारित मूल्य से पैंतीस प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में, जमा की जाने वाली बोली प्रतिभूति से दोगुना राशि, बोली प्रतिभूति राशि होगी।

(आठ) खण्ड (सात) के अनुसार, बोली प्रतिभूति की राशि दोगुना जमा न कर पाने की स्थिति में, प्रस्तुत बोली, अपूर्ण एवं निरस्त मानी जायेगी।

(नौ) उच्चतम निर्धारित मूल्य से किसी भी स्थिति में पच्चीस प्रतिशत से कम बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

(5) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के दौरान उद्भूत विवाद की स्थिति में, कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. उत्खनन पट्टा प्रदान करने संबंधी आदेश.—(1) नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, अधिमानी बोलीदार, नियम 5 के अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति राशि जमा करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति के प्राप्त होने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी करेगा।

(2) अधिमानी बोलीदार द्वारा आशय पत्र जारी दिनांक से 06 माह के भीतर उत्खनन योजना का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पश्चात् पर्यावरण सम्मति के लिये आवेदन किया जाना होगा।

(3) अधिमानी बोलीदार बी-1 श्रेणी की खदान हेतु दो वर्ष तथा बी-2 श्रेणी की खदान हेतु डेढ़ वर्ष के भीतर पर्यावरण सम्मति प्राप्त किया जाना होगा, तथा आशय पत्र में निहित शर्तों को समयावधि में पूरा करने पर अधिमानी बोलीदार को सफल बोलीदार समझा जायेगा। जिसके उपरान्त मंजूरकर्ता प्राधिकारी, सफल बोलीदार को उत्खननपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करेगा।

9. “रेत उपलब्धता उपबंध” एवं सुरक्षा निधि—

(1) “रेत उपलब्धता उपबंध” के तहत पट्टेदार द्वारा स्वीकृत रेत खदान हेतु अनुमोदित उत्खनन मात्रा (खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) सम्मति में निर्धारित मात्रा, जो भी कम हो) के अनुसार वार्षिक राजस्व यथा रायल्टी, डी.एम.एफ. नीलामी राशि/प्रीमियम राशि, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकरण की समतुल्य राशि 04 किशतों में अग्रिम में शासन के विहित मद में जमा करेगा, जैसा कि उत्खनन पट्टा विलेख प्रारूप-एक के भाग-आठ में वर्णित है।

(2) “सुरक्षा निधि” के रूप में उप-नियम (1) अनुसार प्रतिवर्ष अनुमोदित खनिज मात्रा के वार्षिक राजस्व का 25 % के समतुल्य राशि बतौर बैंक गारंटी, सम्पूर्ण लीज अवधि हेतु अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा किया जाना होगा।

(3) “रेत उपलब्धता उपबंध” में निहित निबंधन एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने कि दशा में “सुरक्षा निधि” से राशि समायोजन योग्य होगी तथा पट्टेदार को ऐसे समायोजित राशि को पुनः “सुरक्षा निधि” के रूप में 15 दिवस में पूर्ति की जानी होगी।

(4) उप-नियम (3) के विहित अवधि के भीतर समायोजित राशि के समतुल्य राशि का सुरक्षा राशि में पूर्ति नहीं होने पर पट्टेदार या उसके समनुदेशिनी को यह कारण बताते हुए कि भंग के लिए उसे क्यों न दण्डित किया जाये और यह निर्देश देते हुए कि वह सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर भंग का उपचार करे, इस विषयक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, यदि पट्टेदार या समनुदेशिनी भंग का उपचार ऐसी कालावधि के भीतर न करने पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा और लिखित में संसूचित करेगा।

(5) पट्टा पर्यवसित किये जाने के आदेश पश्चात्, पट्टा क्षेत्र को इन नियमों में विहित प्रावधानों के तहत पुनः आबंटन किया जायेगा।

10. उत्खनन पट्टा विलेख का निष्पादन नब्बे दिवस के भीतर किया जाना.—

(1) जहाँ कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, तथा नियम 9 के अनुसार सुरक्षा निधि जमा की गयी है, वहाँ पट्टा स्वीकृत करने के आदेश की तिथि से नब्बे दिवस के भीतर, प्रारूप-एक में उत्खनन पट्टा विलेख निष्पादित करना होगा और उसे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और यदि नियत कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टे की स्वीकृत आदेश, प्रतिसंहत हो जायेगी।

(2) जहाँ सफल बोलीदार विनिर्दिष्ट नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर, उत्खनन पट्टा विलेख निष्पादित करने में अक्षम है वहां वह कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त कालावधि के पूर्व, संचालक को 1,000/- रुपये के अप्रतिदेय शुल्क के साथ समय में वृद्धि करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) संचालक, उप-नियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख निष्पादन में असमर्थता के कारणों की पर्याप्तता और यथार्थता के बारे में स्वयं समाधान करेगा तथा समाधान हो जाने पर, वह समयावधि में ऐसी अतिरिक्त वृद्धि कर सकेगा, जो कि नब्बे दिवस से अधिक न हो।

11. गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें.— प्रत्येक उत्खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

(1) पट्टाधारी, शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित रॉयल्टी प्रति घन मीटर की दर से, अभिहित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) उच्चतम निर्धारित मूल्य एवं प्राप्त न्यूनतम बोली के बीच के अंतर की राशि अथवा शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत, पट्टाधारी द्वारा नीलामी राशि के रूप में शासन को भुगतान किया जायेगा।

(3) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व स्वीकृत खनन पट्टे जहाँ ग्राम पंचायत पट्टेधारी के रूप में परिभाषित है, वहाँ भी उप-नियम (2) अनुसार नीलामी राशि का भुगतान शासन को किया जायेगा।

(4) पट्टाधारी, शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित डीएमएफ, रॉयल्टी राशि का दस प्रतिशत की दर से प्रति घनमीटर की मान से तथा अन्य कर अभिहित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(5) “रेत उपलब्धता उपबंध” का पालन अनिवार्य होगा। वर्षा ऋतु एवं रेत की मांग नहीं होने की स्थिति में, पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर स्वयं के नाम से स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा क्षेत्र में भण्डारित करेगा। इस स्थिति में, पट्टेदार को भण्डारण अनुज्ञा आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

(6) कोई अन्य कार्यवाही, जो कि इन नियमों के अधीन अथवा पट्टे के किसी अन्य शर्त के अधीन समय के भीतर (उप-नियम (1), (2), (3), एवं (4)) में यथाविनिर्दिष्ट शोध्यों के भुगतान में चूक के मामले में की जा सकती है, के होते हुए भी, पट्टाधारी, समस्त चूक किये गये भुगतानों के लिए प्रतिवर्ष “12 % प्रतिवर्ष की दर

- से अथवा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर के समतुल्य, जो भी उच्चतर हो" भुगतान करेगा।
- (7) साधारण रेत की उत्खनन संक्रिया अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार की जायेगी। उत्खनन योजना तैयार कराने एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी अधिमानी बोलीदार की होगी।
- (8) उत्खनन योजना, भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा मान्य योग्य व्यक्ति द्वारा ही तैयार करना आवश्यक होगा।
- (9) उत्खनन योजना का अनुमोदन संबंधित जिले में पदस्थ उप-संचालक (खनि प्रशासन) एवं खनि अधिकारी, जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर हो, द्वारा किया जायेगा।
- (10) उप-संचालक (खनि प्रशासन) एवं खनि अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं होने की स्थिति में, संचालक द्वारा अधिकृत, निकटस्थ जिले में या भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय में, अर्हित उप-संचालक (खनि प्रशासन) एवं खनि अधिकारी द्वारा उत्खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
- (11) पट्टाधारी, साधारण रेत के उत्खनन हेतु, स्वीकृत सभी पर्यावरण सम्मति, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों, के अधीन जल एवं वायु प्रदूषण संबंधी सम्मति भी सम्मिलित है, संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करेगा और वह उत्खनन संक्रिया के दौरान, इन सम्मतियों में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (12) पहुंच मार्ग से खदान तक जाने के लिए रैम्प का निर्माण तथा उसका समुचित रख-रखाव एवं मरम्मत करने हेतु पट्टाधारी उत्तरदायी होगा।
- (13) साधारण रेत का परिवहन, अभिवहन पारपत्र प्ररूप-एक के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु, आवेदन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अधीन प्ररूप-दो में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (14) पट्टाधारी, खदान स्थल पर खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र जारी करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- (15) किसी पुल या राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से दो सौ मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

- (16) किसी प्राकृतिक जल स्रोत या बांध या जलाशय या अन्य किसी संरचना से सौ मीटर की दूरी के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (17) नदी के दोनों तटों से नदी की चौड़ाई का 10 प्रतिशत क्षेत्र को छोड़कर उत्खनन कार्य किया जायेगा।
- (18) सतह से तीन मीटर की गहराई अथवा नदी में बैड रॉक के उपर 1 मीटर तक ही साधारण रेत का उत्खनन किया जाएगा।
- (19) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 के उप-नियम (20) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अनुरूप निर्धारित प्ररूपों में उत्खनन की विवरणियां, मासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक आधार पर आगामी माह के दसवें दिन को या उसके पूर्व पट्टाधारी द्वारा संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 के उप-नियम (20) के खण्ड (घ) में विहित अनुसार शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

- (20) साधारण रेत के प्रत्येक खदान में, उच्चतम निर्धारित मूल्य (जिस पर रेत का भराव किया जाना है) तथा अन्य करों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
- (21) साधारण रेत के खदान में कार्य के लिए यथा संभव स्थानीय मजदूरों को लगाया जायेगा।
- (22) न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, नियम एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (23) इन नियमों के प्रावधानों अथवा अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन की दशा में, कलेक्टर द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति राशि को संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से समपहृत किया जा सकेगा।

12. पट्टा पर्यवसित करने की अधिकार.—पट्टेदार सरकार को देय समस्त शोधो का भुगतान करने और यदि लागू हो तो उत्खनन बंद करने की प्लान की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को किसी भी समय, छः माह से अन्यून लिखित में सूचना देकर पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा।

13. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग.— राज्य शासन, सुव्यवस्थित तरीके से साधारण रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा।

- 14. साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण.**— संचालनालय, जिला एवं अनुविभाग स्तर पर विशेष उड़नदस्तों का गठन किया जाकर साधारण रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण कराया जाएगा एवं पर्यावरण सम्मति की शर्तों के अनुरूप पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा।
- 15. राजस्व का ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के बीच संवितरण.**— छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 76 के अनुसार राजस्व का संदाय होगा।
- 16. शास्ति.**— जब कभी कोई व्यक्ति विधिमान्य अधिकार के सिवाय साधारण रेत का उत्खनन/भंडारण/परिवहन करता पाया जाता है तो ऐसा कार्य, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों में निहित प्रावधानों के अधीन अपराध माना जायेगा तथा तदनुसार ऐसा व्यक्ति शास्ति हेतु उत्तरदायी होगा।
- 17. अपील एवं पुनरीक्षण.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में अपील अथवा पुनरीक्षण, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अध्याय चौदह में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 18. स्पष्टीकरण.**— इन नियमों के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में किसी अस्पष्टता की दशा में, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में अन्तर्विष्ट प्रावधान लागू होंगे।
- 19. निरसन एवं व्यावृत्ति.**—
- (1) इन नियमों के लागू होने के पूर्व प्रवृत्त, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 एवं इन नियमों के अधीन जारी समस्त निर्देश एवं आदेश इन नियमों के प्रकाशन तिथि से निरसित समझे जायेंगे।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित कोई निर्देश या आदेश के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही, विधिमान्य माने जायेंगे, जब तक कि इन नियमों के प्रावधानों से विशिष्ट रूप से असंगत न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

प्रारूप-एक

साधारण रेत के लिए उत्खनन पट्टा विलेख

(नियम 10 (1) देखिये)

साधारण रेत उत्खनन पट्टा अनुबंध विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में कलेक्टर, ————— छत्तीसगढ़, के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् “पट्टाकर्ता” कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार ————— (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् “पट्टेदार” कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं)

अथवा

.....(सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता व्यवसाय सहित) तथा.....(व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “पट्टेदार” कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशित भी सम्मिलित है)

अथवा

.....(भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज.....निवासी.....समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम(फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है, इसके अन्तर्गत जहाँ संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी सम्मिलित है)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी(कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय(पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है) जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी सम्मिलित है)

यतः पट्टेदार/पट्टेदारों ने, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के अनुसार इसके नीचे लिखी गयी अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के सम्बंध में खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनिपट्टा की स्वीकृति पंजीयन दिनांक से वर्षों के लिए दी गयी हैं।

यतः पट्टेदार, नीलामी (रिवर्स आक्शन) की शर्तों के अनुसार नीलामी की राशि रुपये.....प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद् पश्चात् नीलामी राशि कहलायेगी। निर्धारित कार्यपालन प्रतिभूति की राशि रुपये की बैंक गारंटी क्रमांक दिनांक द्वारा(जारी कर्ता बैंक का नाम) दिनांक..... को जमा किया गया है, जो कि अनुबंध के किसी भी प्रकार से भंग किये जाने की स्थिति में समायोजित/समपहृत योग्य होगा।

अतः कलेक्टर, जिला ने उसे वह उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों में दिया गया है जो अब आगे "उत्खनन पट्टा" कही जायेगी।

सभी साधारण रेत की ऐसी खदानें (जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक की में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है इसके सम्बंध में प्रयोज्य अधिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-एक में वर्णित है, ऐसे अधिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के सम्बंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित है, इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे अधिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित है, परिसर दिनांक से तक (..... वर्ष तक) की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को एतद्द्वारा प्रदान किये जाते हैं, पट्टे पर दिये जाते हैं, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामिस्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित है, क्रमशः ऐसी समयों पर जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधधीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद्द्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और पट्टेदार एतद्द्वारा, राज्य सरकार के साथ रेत उपलब्धता उपबंध करता है जैसा कि इस अनुसूची के भाग-आठ पर वर्णित एवं प्रावधानित है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है जो कि उक्त अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-दस में अभिव्यक्त की गयी है;

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे हैं, उस रीति में जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है;

अनुसूची
भाग—एक
पट्टे का क्षेत्र

ग्राम.....में स्थित भूमियों का वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो , तहसील में निकाय का नाम..... में है और जो खसरा क्रमांक कुल रकबा हेक्टेयर क्षेत्र का हेक्टेयर क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में प्रत्येक कोने अंकित है तथा जो लाल रंग में दर्शाया गया है, और जिसकी अक्षांश-देशांश की सीमाएँ निम्नानुसार है :-

क. ख.....ग.....

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट है;

भाग—दो

उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, 'जो भाग—तीन में दिये गए हैं,
पट्टेदार द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली अधिकार, शक्तियाँ तथा
विशेषाधिकार.

- (1) भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, तथा कार्य करना इत्यादि:—
एतद्वारा किये गये पट्टा की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर एतद्वारा प्रवेश करने और उक्त खनिज को प्राप्त करने के सम्बंध में उपार्जन करने, कार्य करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति।
- (2) रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग:—इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके सम्बंध में उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने हेतु ऐसी शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार सहमत हों, उनका उपयोग करने की या उनके सम्बंध में अधिकार तथा शक्ति।

भाग—तीन

भाग—दो में वर्णित अधिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के सम्बंध में निबंधन तथा शर्तें

- (1) कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा:—किसी सार्वजनिक विहार भूमि, श्मशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में जिसे राज्य भासन सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करें, पर कोई परिवहन मार्ग का निर्माण अथवा कोई भी भू-तल संक्रियायें नहीं की जायेगीं।
- (2) प्रतिषिद्धि दूरी के भीतर कोई खनन कार्य नहीं की जायेगी:— पट्टेदार नियम—.....
.. एवं में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन कार्य नहीं करेगा/करेंगे. या उन्हें करने की अनुज्ञा नहीं देगा।
- (3) आसन्न शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टे के लिए सुविधायें:— पट्टेदार ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है, या जिस तक उसके द्वारा धारित भूमि से पहुँचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टों के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहुँच की युक्तियुक्त सुविधा प्रदान किये जाने बाबत् अनुज्ञा देगा.

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार की संक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार को हई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

भाग—चार

राज्य सरकार के लिए आरक्षित अधिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकार

- (1) **पथ, रास्ते, एनीकट, तथा पावर ग्रिड आदि बनाना:**— राज्य शासन या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग—दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आर—पार किन्हीं पथों को, सड़क मार्गों, एनीकट तथा पावर ग्रिड बनाने संधारित करने, और उनकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान पथों, सड़क मार्गों, एनीकट, पावर ग्रिड तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ—साथ समस्त प्रयाजनों के लिए और जैसा कि किसी अवसर पर आपेक्षित हो, पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति:

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी अधिकारों तथा शक्ति का प्रयोग करने में इन विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके सम्बंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और इस अधिकार या शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जायेगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जायें।

भाग—पांच

आरक्षित किराया और रॉयल्टी

- (1) **लागू रॉयल्टी दरे और रॉयल्टी भुगतान का तरीका:**— इस भाग के भाग—एक के उपबंध के अध्याधीन रहते हुए पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके या उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से न्यूनतम रेत खनन अनुबंध में अनुबंधित रेत मात्रा के लिए हटायें खनिज/खनिजों के सम्बंध में नियम 9 (1) (ग) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामित्व का, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसूची—तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा।

- (2) **नीलामी राशि का भुगतान (नीलामी राशि):**— नीलामी राशि के माध्यम से उत्खनन पट्टे से रेत उपलब्धता उपबंध में अनुबंधित रेत मात्रा के लिए खनिज की प्रतिघन मीटर मात्रा पर रुपये की दर से नीलामी राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होगा।
- (3) **खदान क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित दरों/मूल्यों को प्रदर्शित करेगा:**— पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर एक सूचना पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें शासन द्वारा निर्धारित सिलिंग प्राईस, रॉयल्टी, डी.एम.एफ., समस्त उपकरण एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर दर्शित होंगे।

भाग—छ:

रॉयल्टी सम्बंधी उपबंध

- (1) **रॉयल्टी के संगणना के रीति :**— उक्त स्वामिस्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पट्टेदार न्यूनतम रेत खनन अनुबंध में अनुबंधित रेत मात्रा के उत्पादन का एक सही लेखा रखने साथ ही खनिज की मात्रा का, जो की स्टॉक में है या निर्यात की प्रक्रिया में इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँच प्रड़ताल की जा सकेगी.
- (2) **यदि किराया और रॉयल्टी का समय पर भुगतान नहीं होता है तो कार्यवाही:**— इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई स्वामिस्व या अन्य रकम का पट्टेदार द्वारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम उस पर शोध्य 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अथवा खनिज (परमाणु ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर, जो भी उच्चतर हो, साधारण ब्याज के साथ उप-संचालक (खनि. प्रशा.)/खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भू-राजस्व की भौति वसूल की जा सकेगी।

भाग-सात
पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रसंविदायें

- (1) **पट्टेदार किराया और करों इत्यादि का भुगतान करेगा:-** पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा स्वामिस्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में जो इस विलेख के भाग 5 तथा 6 में उपबंधित है, राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रभारित कियें गये अनुसार भुगतान करेगा।
- (2) **खदान क्षेत्र को दर्शाने वाला अक्षांश-देशांश एवं लागू दरों की जानकारी प्रदर्शित करना:-** पट्टेदार अपने उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार खदान क्षेत्र को दर्शाने वाला अक्षांश-देशांश की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा और उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा। ऐसे झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें तथा प्रत्येक रेत खदान में रेत का उच्चतम निर्धारित मूल्य, प्रदर्शित किया जायेगा।
- (3) **संक्रियायें एक माह के भीतर प्रारंभ की जायेगी और कुशलता से कार्य किया जायेगा:-** पट्टेदार पट्टा पंजीयन किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर संक्रियायें प्रारंभ करेगा।
- (4) **सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जायेगा:-** पट्टेदार ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा किए गये हों, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हर्जाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनका भुगतान करेगा जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये और, और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरुद्ध, ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के सम्बंध में जो कि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जायें राज्य सरकार को क्षतिपूरित करेगा और पूर्ण रुप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा।
- (5) **खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना:-** पट्टेदार, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को उत्खनन क्षेत्र अथवा किसी परिसर में स्थित कार्यालय में प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा, और पट्टेदार उसके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित है, ऐसे अधिकारी/अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा और खदानों के कार्यकरण के सम्बंध में ऐसी समस्त सुविधायें, जानकारी देगा जो कि वे युक्तियुक्त रुप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे की केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणाम स्वरुप या अन्यथा समय-समय पर अधिरोपित करना उचित समझे के अनुरूप अनिवार्य रुप से कार्य करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा।

- (6) **दुर्घटना की रिपोर्ट किया जाना:—** पट्टेदार बिना विलंब के कलेक्टर तथा संबंधित पुलिस थाना को ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा जो इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो, जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गयी हो, या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।
- (7) **अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट किया जाना:—** पट्टेदार पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज की जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा, यदि ऐसा कोई खनिज जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा, और उसका निपटारा नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर दिया जाये या उसके लिए एक पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाये।
- (8) **उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों एवं लेखाओं का संधारण किया जाना:—** पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उनके निकट स्थित हों, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा या रखवायेगा जिनमें निम्नलिखित के सम्बंध में समय समय पर सही प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट होगी :—
1. उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज की मात्रा तथा प्रकार;
 2. उन खनिज को, जिनका विक्रय किया गया हो, मात्रायें तथा विभिन्न प्रकार पृथक पृथक रूप से;
 3. उक्त खनिज के समस्त या विक्रेता की कीमते तथा अन्य समस्त विवरण;
 4. उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में विनियोजित व्यक्तियों की संख्या तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हतायें तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए;
 5. ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियाँ तथा परिस्थितियों जिनके बारे में राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करें, और ऐसे अधिकारी को ऐसे समयों पर जैसा कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार नियत करें, ऐसी समस्त किन्ही लेखा पुस्तकों के असली तथा संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी विवरणिया जैसा कि राज्य सरकार विहित करें निःशुल्क प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे व्यक्तिगत समयों पर ऐसे अधिकारियों को जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करें, उक्त लेखा पुस्तकों, रेखांको तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियाँ तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुँच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा।

- (9) **तृतीय पक्षों को हुई क्षति प्रतिकर का भुगतान:**— पट्टेदार इस विलेख प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के किए गए समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधान कारक प्रतिकर देगा तथा भुगतान करेगा और समस्त समयों पर ऐसे समस्तवादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे जो किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए जाये राज्य भासन को हानिरहित रूप से बचायेगा और क्षतिपूरित रखेगा शासकीय भूमि की दशा में पट्टेदार राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिले की पड़त भूमि के लिए पत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित की जाने वाली कीमत के प्रतिशत समतुल्य राशि के प्रतिकर का भुगतान राज्य शासन को करेगा।
- (10) **पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा:**— जब कभी रुपये..... का कार्यपालन प्रतिभूति उसके किसी भी भाग की पुनः पूर्ति करने, राज्य सरकार के पास इसमें इसके पश्चात् जमा की गयी और रकम समपहत की जाय या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाये तब पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और रकम बैंक गारंटी के रूप में जमा करेगा जो कि कार्यपालन प्रतिभूति के अधिनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य सरकार के पास जमा रकम को रुपये..... तक लाने के लिए पर्याप्त हो।
- (11) **अग्रकय का अधिकार:**—
- (क) राज्य भासन को उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर समस्त समयों पर एतद्द्वारा अन्तरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अग्रकय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा कय किये गये उत्पाद या खनिजों को ऐसी मात्रा में ऐसे समयों पर ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत् सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हों, सुपुर्द करेगा
- (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अग्रकय में लिए गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रकय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो।
- (12) **राज्य शासन द्वारा किये गए व्ययों की वसूली:**— यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो इस निमित्त इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार द्वारा किए जाने हैं, या उनका पालन किया जाना है उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार मांग की जाने पर राज्य सरकार

को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा जो कि इस प्रकार कार्य किए जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किए गए हों तथा ऐसे व्ययों के सम्बंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(13) अन्य बाध्यतार्यः—

- (क) पट्टेदार, इस नियम के अन्तर्गत अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं न्यूनतम रेत खनन अनुबंध के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेगा
- (ख) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का सं. 11) के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।
- (ग) पट्टेदार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।
- (घ) पट्टेदार, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।
- (ङ) पट्टेदार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेंगे।
- (च) पट्टेदार, स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुररुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय ओर ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसे कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किये जाये;
- (छ:) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी का प्रतिकर का भुगतान करेगा।
- (ज) पट्टेदार, नियोजन के विषय में, स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा;
- (झ) पट्टेदार नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा।

भाग-आठ
रेत उपलब्धता उपबंध

1. रेत उत्खनन हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण मात्रा जैसा कि निम्न तालिका के कॉलम-4 में वर्णित है, के अनुसार उत्खनन करना होगा।

वर्ष	उत्खनन योजना अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)	पर्यावरण सम्मति/जल एवं वायु सम्मति अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)	रेत उपलब्धता उपबंध हेतु अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)(कॉलम 2 और 3 में से जो कम हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष			
तृतीय वर्ष			
चतुर्थ वर्ष			
पंचम वर्ष			

2. पट्टेदार द्वारा सुरक्षा निधि का जमा किया जाना-पट्टेदार को नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित प्ररूप और तरिके से निष्पादन सुरक्षा प्रदान करेगा।
3. पट्टेदार को स्वीकृत रेत खदान से कंडिका 1 के कॉलम-4 अनुसार निर्धारित रेत की मात्रा का 100 प्रतिशत खनन किया जाना होगा। अन्यथा अंतर की मात्रा के विरुद्ध देय राजस्व यथा रायल्टी, डी.एम.एफ. नीलामी राशि/प्रीमियम राशि, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के समतुल्य राशि सुरक्षा निधि से समायोजन होगा।
4. रायल्टी, जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ), नीलामी राशि और अन्य कर/उपकर का त्रै-मासिक अग्रिम भुगतान किया जाना- पट्टेदार, इस उपबंध के अधीन शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित रायल्टी एवं अन्य कर/उपकर के अनुसार प्रत्येक वर्ष रेत खनन हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण मात्रा (उत्खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) में जो भी कम हो) के राजस्व को 04 अग्रिम किश्तों में विहित राजस्व भीर्श में निम्न तालिका में विहित रीति से जमा करेगा:-

किश्त	वार्षिक देय किश्त का प्रतिशत (इस अनुबंध के भाग-आठ की खण्ड-1 के कॉलम-4 से दर्शित मात्रा पर परिकलित राजस्व)	प्रथम वर्ष में देय तिथि
प्रथम किश्त	20% अग्रिम	विलेख के पंजीयन के 10 दिनों के भीतर।
द्वितीय किश्त	30% अग्रिम	दूसरी तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।
तृतीय किश्त	30% अग्रिम	तीसरे तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।
चतुर्थ किश्त	20% अग्रिम	चौथे तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।

नोट :- 1. त्रैमास की गणना अनुबंध निष्पादन के पंजीयन तिथि से की जावेगी।
2. पट्टा अवधि के प्रथम वर्ष उपरांत आगामी वर्षों हेतु त्रैमासिक देय तिथि की गणना उपर्युक्त तालिका अनुसार होगी।

5. सुरक्षा निधि का समायोजन और अद्यतन बनाये रखा जाना:- सुरक्षा निधि का आंशिक या पूर्ण समायोजन होने की स्थिति में समायोजन होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर पुनः समतुल्य राशि सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त राशि अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा।
6. पट्टेदार द्वारा खनिज राजस्व एवं अन्य करों का जमा किया जाना - पट्टेदार द्वारा नियम 11(2) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उच्चतम निर्धारित मूल्य एवं प्राप्त न्यूनतम बोली के अन्तर की राशि को नीलामी राशि के रूप में शासन के निर्धारित शीर्ष में भुगतान किया जाएगा। तदुपरान्त रेत उपलब्धता उपबंध में यथाविनिर्दिष्ट राजस्व के भुगतान करने पर अभिवहन पारपत्र जारी किये जायेंगे।

भाग-नौ

राज्य सरकार की प्रसंविदाएं

- (1) पट्टा पर्यवसित करने की अधिकार:- पट्टेदार आगामी तीन माह हेतु रेत उपलब्धता उपबंध में अनुमोदित मात्रा के आधार पर देय समस्त राजस्व को अग्रिम में जमा कर मंजूरकर्ता प्राधिकारी को कम से कम तीन कलेण्डर मास पूर्व उत्खनन पट्टा पर्यवसित करने का आवेदन कर सकेगा।

परन्तु, पट्टेदार को किराये, रॉयल्टी, क्षतिपूर्ति और इस समझौते के अधीन देय किसी भी अन्य राशि सहित सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी अप्रत्याशित तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व करेगा, और यह वचन देता है कि वह इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नहीं करेगा।

- (2) **कार्यपालन प्रतिभूति की प्रतिदायः**— इस पट्टे या किसी नवीकरण का पर्यावसन होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करे, इस पट्टे के सम्बंध में भुगतान की गई प्रतिभूति की रकम का जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार को प्रतिदाय कर दी जावेगी प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

भाग—दस

सामान्य उपबंध

- (1) **निरीक्षण में बाधायें:**—उन मामलों में जहाँ पट्टेदार उन अधिकारियों द्वारा, जो इन नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, प्रवेश किए जाने या निरीक्षण किए जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर पट्टेदार को लिखित सूचना देगा तथा उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय यह कारण बताए कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाये तथा उसकी कार्यपालन प्रतिभूति क्यों न समपहृत कर ली जाये। यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में प्राधिकारी का समाधान करने में असफल रहता है, तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा कार्यपालन प्रतिभूति की संपूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा।

- (2) **स्वामिस्व, नीलामी राशि एवं अन्य कर का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्ति:**—यदि पट्टेदार नियमों तथा अधिनियमों द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है या शर्तों को भंग करता है, तो कलेक्टर उससे यह अपेक्षा करते हुए इस नियम के अनुसार कारण

बताओ नोटिस देगा कि वह भाटक या स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर करे। यदि ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा कार्यपालन प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग समाप्त कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) पट्टे का अवसान होने पर संपत्ति का हटाया जाना:—पट्टेदार इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का अग्रिम भुगतान करने पर तथा उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वोत्तर पर्यवसान किए जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन कैलेण्डर माह के भीतर जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाये और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कैलेण्डर माह के भीतर उसके द्वारा स्थापित उत्खनन सामाग्री, जो कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों, स्थापित किए गए हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं है, हटाना होगा।

(4) पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन माह से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गयी संपत्ति का समपहरण:— इस अनुसूची के भाग-दस के खण्ड तीन के अधीन पट्टा अवधि के अवसान या पट्टा अवधि के पूर्वोत्तर पर्यवसान पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य कार्य परिसमापन कार्य तथा अन्य सुविधायें, अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार द्वारा उत्खनन पट्टे के अधीन उसके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किए जाने वाले संकायों के संबंध में अपेक्षित नहीं है, तो उन्हें हटाये जाने की अपेक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा पट्टेदार को दी गयी लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कैलेण्डर माह के भीतर न हटाये जायें तो वे पट्टेदार या किसी तीसरे पक्ष को कोई प्रतिकर देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझी जायेगी। राज्य सरकार के द्वारा ऐसी संपत्ति ऐसी रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, व्ययन, विक्रय या अन्यथा संव्यवहृत की जा सकेगी।

(5) यह पट्टा जिले में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार है तथा एतद्वारा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन वसूली शोध के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध में कोई

विवाद होने की दशा में, वाद (या अपील) जिला स्थित (नगर का नाम के सिविल न्यायालयों में फाईल किये जायेंगे तथा स्पष्ट करार किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित करने या कोई कार्यवाही करने के लिये या कोई याचिका फाईल करने के लिये पक्षकारों में से किसी पक्षकार के पास कोई अधिकार नहीं होगा।

(6) स्टाम्प शुल्क के रूप में उदग्रहण पट्टा क्षेत्र के उपयोग के लिए उद्ग्रहित अप्रतिदेय लगभग स्वामिस्व रुपये...../—प्रतिवर्ष है।

(7) अन्य शर्तें:—जिसके साक्ष्य में, यह विलेख प्रथमतः ऊपर लिखित तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है.

राज्यपाल द्वारा तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

तारीख

(पट्टाधारी)

तारीख

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर
नाम
पिता या पति का नाम
पता

(2) हस्ताक्षर
नाम
पिता या पति का नाम
पता

प्ररूप-एक(अ)
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के
तहत स्वीकृत उत्खनन पट्टा हेतु "रेत उपलब्धता उपबंध" का पूरक अनुबंध
{नियम 6(2) देखिये}

यह करार एक पक्षकार के रूप में कलेक्टर, ————— छत्तीसगढ़, के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार ————— (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित है)

अथवा

....(सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता व्यवसाय सहित) तथा.....
(व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित है।)

अथवा

.....(भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज.....निवासी.....समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम
(फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय में पर है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है, इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित है)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी
 (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय(पता) में है (जो इसमें इसके
 पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है) जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहां
 उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी सम्मिलित है) के मध्य दिनांक/....
/20..... को किया जाता है।

यतः, तारीख के पट्टा विलेख के आधार पर, जो
 (स्थान) के उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में तारीख को संख्या के
 रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टा" के रूप में निर्दिष्ट है
 और जिसकी मूल प्रति को, उस पर "क" चिह्नांकित कर इसके साथ संलग्न किया गया है,
 जो राज्य शासन (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) और इसके
 पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है के बीच किया गया है, पट्टेदार उससे संलग्न
 अनुसूची में वर्णित भूमियों में वर्णित उस अवधि के लिए तथा उन भाटकों और स्वामिस्वों
 (रायल्टी) का भुगतान करने पर पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख
 में आरक्षित और अन्तर्विष्ट है, पालन और अनुपालन करने पर खनिज साधारण रेत ढूढ़ने के
 संबंध में, प्राप्त करने और खान और खनिजों से संबंधित कार्य करने का हकदार है तथा
 जिसके अन्तर्गत ऐसी प्रसंविदा भी है कि वह, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना,
 पट्टा या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा।

और यतः, पट्टाकर्ता अब छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं
 व्यवसाय.) नियम, 2025 लागू किया गया है, जिसके नियम 6(2) के तहत पट्टेदार की प्रार्थना
 पर आदेश क्रमांक दिनांक और पट्टे का समनुदेशन इस शर्त
 पर करने की अनुज्ञा दे दी है, कि पट्टेदार एक ऐसा करार करेगा जिसमें इसमें इसके पश्चात्
 वर्णित निबंधन और शर्तें होंगी।

अनुसूची पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र:-

ग्राम.....जो, ग्राम पंचायत.....में स्थित भूमियों का वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो , तहसील में निकाय का नाम.....में है और जो खसरा क्रमांक कुल रकबा है. क्षेत्र का हैं. क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में प्रत्येक कोने अंकित है तथा जो लाल रंग में दर्शाया गया है, और जिसकी अक्षांश-देशांश की सीमाएँ निम्नानुसार है :-

ए. बी.....सी.....डी.....

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट है;

अतएव अब एतद्वारा पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई:

1. पट्टेदार छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के समस्त नियमों/शर्तों का पालन करेगा।
2. राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक के अनुसरण में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 लागू किया गया है, जिसके नियम 6(2) अनुसार उत्खनन पट्टे की स्वीकृत कालावधि को 01 वर्ष विस्तारित किया गया है। तदनुसार उत्खनन पट्टे की कालावधि वर्ष के लिये दिनांक से दिनांक तक विस्तारित की जाती है।
3. पट्टेदार द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार देय शोध्यों का भुगतान करेगा।
4. पूर्व अनुमोदित उत्खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) सम्मति के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
5. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) के अधीन पूरक अनुबंध विलेख को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा
6. "रेत उपलब्धता उपबंध" के निम्न प्रावधान लागू होंगे:-
 - 6.1 रेत उत्खनन हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण मात्रा जैसा कि निम्न तालिका के कॉलम-4 में वर्णित है, के अनुसार उत्खनन करना होगा।

वर्ष	उत्खनन योजना अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)	पर्यावरण सम्मति/जल एवं वायु सम्मति अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)	रेत उपलब्धता उपबंध अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)(कॉलम 2 और 3 में से जो कम हो)
1	2	3	4
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष			
तृतीय वर्ष			
चतुर्थ वर्ष			
पंचम वर्ष			

- 6.2** पट्टेदार द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति का जमा किया जाना—पट्टेदार को नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन विहित प्ररूप तथा रीति में कार्यपालन प्रतिभूति को जमा किया जाना होगा।
- 6.3** पट्टेदार को रेत खदान से खण्ड 1 कि सारिणी के कॉलम-4 के अनुसार निर्धारित मात्रा का शत प्रतिशत खनन किया जाना होगा। रेत की मात्रा के खनन में किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में पट्टेदार देय राजस्व के समतुल्य राशि की कमी हेतु क्षतिपूर्ति का दायी होगा। रायल्टी, डी.एम.एफ. नीलामी राशि/प्रीमियम राशि, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के समतुल्य राशि का सुरक्षा निधि से समायोजन होगा।
- 6.4** राँयल्टी, डीएमएफ, नीलामी राशि और अन्य कर/उपकर का त्रै-मासिक अग्रिम भुगतान किया जाना— पट्टेदार, शासन द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित रेत की अनुमोदित सम्पूर्ण मात्रा (उत्खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) में जो भी कम हो) के देय राजस्व की समतुल्य राशि को 04 अग्रिम किशतों में विहित राजस्व शीर्ष में निम्न तालिका में विहित रीति से जमा करेगा:—

किश्त	वार्षिक देय किश्त का प्रतिशत (इस अनुबंध के भाग-आठ की कंडिका -1 की तालिका के कॉलम-4 के अनुसार मात्रा पर परिकलित राजस्व)	प्रथम वर्ष में देय तिथि
प्रथम किश्त	20% अग्रिम	अनुबंध के पंजीयन के 10 दिनों के भीतर।
द्वितीय किश्त	30% अग्रिम	दूसरी तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।
तृतीय किश्त	30% अग्रिम	तीसरे तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।
चतुर्थ किश्त	20% अग्रिम	चौथे तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।

नोट :- 1. त्रैमास की गणना अनुबंध निष्पादन के तिथि से की जायेगी।
2. पट्टा अवधि के प्रथम वर्ष उपरांत, आगामी वर्षों हेतु त्रैमासिक देय तिथि की गणना उपर्युक्त तालिका अनुसार होगी।

6.5 सुरक्षा निधि का समायोजन और अद्यतन बनाये रखा जाना – सुरक्षा निधि का आंशिक या पूर्ण समायोजन होने की स्थिति में ऐसे समायोजन के 15 दिवस के भीतर समायोजन राशि के समान अतिरिक्त राशि अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा।

6.6 पट्टेदार द्वारा खनिज राजस्व एवं अन्य करों का जमा किया जाना – पट्टेदार द्वारा नियम 11(2) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उच्चतम निर्धारित मूल्य एवं प्राप्त न्यूनतम बोली के अन्तर की राशि को नीलामी राशि के रूप में शासन के निर्धारित शीर्ष में भुगतान किया जाएगा। तदुपरान्त, रेत उपलब्धता उपबंध में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व के भुगतान करने पर अभिवहन पारपत्र जारी किये जायेंगे।

7 अन्य समस्त निबंधन एवं अभिव्यक्तियाँ, जिनका यहा उपयोग किया गया है, तथापि विशेष रूप से यह पूरक अनुबंध के अंतर्गत परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका अर्थ वहीं होगा, जो कि मूल अनुबंध तथा तदपश्चात् उसके संशोधन के अंतर्गत परिभाषित है।

- 8 मूल अनुबंध निष्पादन दिनांक के तहत अन्य समस्त निबंधन तथा शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) द्वारा और उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

तारीख

(पट्टाधारी)

तारीख

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षी

- (1) हस्ताक्षर
 नाम
 पिता या पति का नाम
 पता
- (2) हस्ताक्षर
 नाम
 पिता या पति का नाम
 पता

प्रारूप-एक(ब)

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत स्वीकृत उत्खनन पट्टा हेतु "रेत उपलब्धता उपबंध" का पूरक अनुबंध
{नियम 6(2) देखिये}

यह करार एक पक्षकार के रूप में कलेक्टर, ————— छत्तीसगढ़, के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार —————(व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं)

अथवा

....(सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता व्यवसाय सहित) तथा.....
(व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल है, वहाँ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं।)

अथवा

.....(भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज.....निवासी.....समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम
(फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय में पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है, इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी
 (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय(पता) में है (जो इसमें इसके
 पश्चात अनुज्ञापतिधरी के रूप में निर्दिष्ट है) जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके
 उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी सम्मिलित है) के मध्य दिनांक/.....
 /20..... को किया जाता है।

यतः, तारीख के पट्टा विलेख के आधार पर, जो
 (स्थान) के उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में तारीख को संख्या के
 रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टा" के रूप में निर्दिष्ट है
 और जिसकी मूल प्रति को, उस पर "क" चिह्नांकित कर इसके साथ संलग्न किया गया है,
 जो राज्य भासन (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है) और इसके
 पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है के बीच किया गया है, पट्टेदार उससे संलग्न
 अनुसूची में वर्णित भूमियों में वर्णित उस अवधि के लिए तथा उन भाटकों और स्वामिस्वों
 (रायल्टी) का भुगतान करने पर पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख
 में आरक्षित और अन्तर्विष्ट है, पालन और अनुपालन करने पर खनिज साधारण रेत ढूँढ़ने के
 संबंध में, प्राप्त करने और खान और खनिजों से संबंधित कार्य करने का हकदार है तथा
 जिसके अन्तर्गत ऐसी प्रसंविदा भी है कि वह, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना,
 पट्टा या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा।

और यतः, पट्टाकर्ता अब छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं
 व्यवसाय) नियम, 2025 लागू किया गया है, जिसके नियम 6(2) के तहत पट्टेदार की प्रार्थना
 पर आदेश क्रमांक दिनांक और पट्टे का समनुदेशन इस शर्त
 पर करने की अनुज्ञा दे दी है, कि पट्टेदार एक ऐसा करार करेगा जिसमें इसमें इसके पश्चात्
 वर्णित निबंधन और शर्तें होंगी।

अनुसूची पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र:-

ग्राम.....जो, ग्राम पंचायत.....में स्थित भूमियों का वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो , तहसील में निकाय का नाम.....में है और जो खसरा क्रमांक कुल रकबा है. क्षेत्र का हैं. क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में प्रत्येक कोने अंकित है तथा जो लाल रंग में दर्शाया गया है, और जिसकी अक्षांश-देशांश की सीमाएँ निम्नानुसार है :-

ए. बी.....सी.....डी.....

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट है;

अतएव अब एतद् द्वारा पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई:

1. पट्टेदार छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के समस्त नियमों/शर्तों का पालन करेगा।
2. राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक के द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 लागू किया गया है, जिसके नियम 6(2) अनुसार उत्खनन पट्टे की स्वीकृत कालावधि को 01 वर्ष हेतु विस्तारित किया गया है। तदनुसार उत्खनन पट्टे की कालावधि वर्ष के लिये दिनांक से दिनांक तक विस्तारित की जाती है।
3. पट्टेदार छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार देय शोध्यों का भुगतान करेगा।
4. अनुमोदित उत्खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) सम्मति के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
5. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) के अधीन पूरक अनुबंध विलेख को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।
6. "रेत उपलब्धता उपबंध" के निम्न प्रावधान लागू होंगे:-
 - 6.1 रेत उत्खनन हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण मात्रा जैसा कि निम्न तालिका के कॉलम-4 में वर्णित है, के अनुसार उत्खनन करना होगा।

वर्ष	उत्खनन योजना अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)	पर्यावरण सम्मति/जल एवं वायु सम्मति अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)	रेत उपलब्धता उपबंध हेतु अनुमोदित मात्रा (घन मीटर में)(कॉलम 2 और 3 में से जो कम हो)
1	2	3	4
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष			
तृतीय वर्ष			
चतुर्थ वर्ष			
पंचम वर्ष			

6.2 पट्टेदार द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति का जमा किया जाना—पट्टेदार को नियम 9 के उप नियम 2 के अधीन विहित प्रारूप तथा रीति में कार्यपालन प्रतिभूति को जमा किया जाना होगा।

6.3 पट्टेदार को रेत खदान से खण्ड 1 की सारिणी के कॉलम-4 के अनुसार निर्धारित मात्रा का शत प्रतिशत खनन किया जाना होगा। रेत की मात्रा के खनन में किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में पट्टेदार देय राजस्व के समतुल्य राशि की कमी हेतु क्षतिपूर्ति का दायी होगा। रायल्टी, डी.एम.एफ. नीलामी राशि/प्रीमियम राशि, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के समतुल्य राशि का सुरक्षा निधि से समायोजन होगा।

6.4 रॉयल्टी, डीएमएफ, नीलामी राशि और अन्य कर/उपकर का त्रै-मासिक अग्रिम भुगतान किया जाना— पट्टेदार, शासन द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित रेत की अनुमोदित सम्पूर्ण मात्रा (उत्खनन योजना/पर्यावरण सम्मति/जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) में जो भी कम हो) के देय राजस्व की समतुल्य राशि को 04 अग्रिम किश्तों में विहित राजस्व शीर्ष में निम्न तालिका में विहित रीति से जमा करेगा:—

किश्त	वार्षिक देय किश्त का प्रतिशत (इस अनुबंध के भाग-आठ की कंडिका -1 की तालिका के कॉलम-4 के अनुसार मात्रा पर परिकलित राजस्व)	प्रथम वर्ष में देय तिथि
प्रथम किश्त	20% अग्रिम	अनुबंध के पंजीयन के 10 दिनों के भीतर।
द्वितीय किश्त	30% अग्रिम	दूसरी तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।
तृतीय किश्त	30% अग्रिम	तीसरे तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।
चतुर्थ किश्त	20% अग्रिम	चौथे तिमाही के प्रथम माह के 10 दिनों के भीतर।

नोट :- 1. त्रैमास की गणना अनुबंध निष्पादन के तिथि से की जायेगी।
2. पट्टा अवधि के प्रथम वर्ष उपरांत, आगामी वर्षों हेतु त्रैमासिक देय तिथि की गणना उपर्युक्त तालिका अनुसार होगी।

6.5 सुरक्षा निधि का समायोजन और अद्यतन बनाये रखा जाना – सुरक्षा निधि का आंशिक या पूर्ण समायोजन होने की स्थिति में ऐसे समायोजन के 15 दिवस के भीतर समायोजन राशि के समान अतिरिक्त राशि अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा।

6.6 पट्टेदार द्वारा खनिज राजस्व एवं अन्य करों का जमा किया जाना – पट्टेदार द्वारा नियम 11(2) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उच्चतम निर्धारित मूल्य एवं प्राप्त न्यूनतम बोली के अन्तर की राशि को नीलामी राशि के रूप में शासन के निर्धारित शीर्ष में भुगतान किया जाएगा। तदुपरान्त, रेत उपलब्धता उपबंध में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व के भुगतान करने पर अभिवहन पारपत्र जारी किये जायेंगे।

7 अन्य समस्त निबंधन एवं अभिव्यक्तियाँ, जिनका यहा उपयोग किया गया है, तथापि विशेष रूप से यह पूरक अनुबंध के अंतर्गत परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका अर्थ वहीं होगा, जो कि मूल अनुबंध तथा तदपश्चात् उसके संशोधन के अंतर्गत परिभाषित है।

8 मूल अनुबंध निष्पादन दिनांक के तहत अन्य समस्त निबंधन तथा शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्यपाल द्वारा तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

तारीख

(पट्टाधारी)

तारीख

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर
नाम
पिता या पति का नाम
पता

(2) हस्ताक्षर
नाम
पिता या पति का नाम
पता

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th September 2025

NOTIFICATION

File No. 7-7/2004/12. - In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules for regulating the Quarry and Trade of minor mineral ordinary sand, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025.
(2) They shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "B-1 and B-2 category of mines" means as defined in Environment Rules.
 - (b) **"Ceiling Price"** means the highest price fixed for auction (reverse auction), below which the bidders will bid;
 - (c) **"Competent Officer"** means an Officer of the concerned department; status quo
 - (d) **"Director"** means the Director of the Directorate of Geology and Mining, Chhattisgarh;
 - (e) **"District-level Committee"** means the committee of officials constituted at the district level by the Collector, which shall function according to the provisions laid down;

(f) **"Electronic Auction (Reverse auction)"** means an electronic Sauction through an online electronic platform, which meets the minimum technical and security requirements as specified by the Ministry of Communications and Information Technology, Government of India, where the bid is submitted in descending order below the ceiling price in a single phase of bidding, within a finite deadline for grant of quarry lease of ordinary sand as described in these rules.

(g) **"Mineral"** means Ordinary Sand;

(h) **"NIT"** means Notice Inviting Tender;

(i) **"Preferred bidder"** means the bidder specified in clause (c) of sub-rule (4) of rule 7;

(j) **"Revenue Officer"** means such officer as defined by Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(k) **"Sanctioning Authority"** means the Collector of the concerned District;

(l) **"Sand Availability Provision"** means the provisions made to ensure annual sand availability in allotted Ordinary Sand Quarry which shall be a part of the agreement of Quarry Lease;

(m) **"Security Deposit"** means an amount equivalent to 25% of annual revenue such as Royalty, DMF, Auction Money/Premium amount, Environment and Infrastructure Cess of approved quarrying quantity (quantity prescribed in Quarry Plan/Environment Clearance/ Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Air (prevention and control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981), whichever is less), for a sanctioned sand quarry lease;

(n) **"Successful Bidder"** means a bidder as specified in sub-rule 3 of rule 8.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

3. Identification of Ordinary Sand Quarries and fixation of Ceiling

Price.— (1) The District Collector shall, in accordance with the opinion of the District-Level Committee, identify sand mining area by inspection of availability of mineral sand, flow of river etc, demarcate the boundary (with longitude and latitude). declare the sand quarries.

(2) The District-level Committee shall determine the ceiling price per cubic meter, for quarrying and loading of ordinary sand district-wise, including the rate of loading, construction of ramp, route of quarries, and other related expenses.

(3) The ceiling price shall not include the amount of the royalty, contribution to the District Mineral Foundation Trust, Environmental Cess, Infrastructure Development Cess, Tax Deduction at Source, and other taxes as applicable.

(4) In Scheduled Areas, the provisions of the Panchayats (Extension of the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996) shall apply.

4. Duration of Quarry Lease.— The quarry lease for quarrying of ordinary sand shall be granted for a period of five years. The period of five years will be counted from the date of registration of the Quarry Lease Deed.

5. Bid Security and Performance Security.— (1) To bid in auction (reverse auction), every bidder shall be required to provide twenty percent amount of Performance Security as Bid Security:

Provided that in case the bid is for less than thirty five percent of the fixed ceiling price, the Bid Security amount shall be deposited twice the amount of Bid Security.

(2) After the auction (reverse auction), within fifteen days of the declaration of the preferred bidder, he shall be required to deposit Performance Security at the rate of rupees one lakh per hectare or part thereof. The said amount shall be deposited in the form of valid Bank Guarantee for the entire lease period.

(3) After the declaration of Preferred Bidder, bid securities of all other bidders except the preferred bidder, shall be returned. The bid security deposited by the preferred bidder shall be returned on submission of the performance security.

6. Right of existing concession holders and applicants.- (1) All applications received prior to the date of commencement of these rules for the grant of quarry leases in accordance with Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Scheduled Areas) Rules, 2023 shall become ineligible.

(2) Those cases, which are executed under the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019 and Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Scheduled Areas) Rules, 2023, shall be deemed considered valid for the remaining period subject to all terms and conditions of the lease under the applicable rules in force:

Provided that, if the aforementioned quarry lease holder executes supplementary agreement in Form-1(A) or Form-1(B) as applicable and registered "Sand Availability Provision" within 60 days from the date of commencement of these rules, they may be given an extension of 1 year in the existing lease period.

(3) All the cases, where Letter of Intent has been issued but the deed is not executed under the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019 and Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Scheduled Areas) Rules, 2023, shall be deemed valid:

Provided that in such cases, the revised Letter of Intent shall be issued with inclusive of "sand availability agreement."

7. The Process of Auction (Reverse Auction) for Grant of Quarry Lease.— (1) Eligibility for grant of quarry lease:-

(a) The bidder shall be a person who is domicile of Chhattisgarh, or a company/firm/society/cooperative society duly registered under the relevant act/rule and otherwise satisfy all the conditions specified in these rule:

Provided that if the bidder is a company/firm/society/cooperative society, minimum three-fourth of the share holding of such company/firm/society/cooperative society, shall be possessed by the holder, who are domicile of Chhattisgarh.

(b) To participate in the auction (reverse auction) for ordinary sand, the bidder must satisfy the terms and conditions prescribed for bidding and such bidders shall be called technically eligible bidders. The bid submitted by the person or company, which is technically not eligible, shall be deemed to cancel automatically.

(c) The preferred bidder shall be determined on the basis of the financial bids of only the technically eligible bidders.

(2) The electronic-auction (reverse auction):-

(a) Collector shall complete the procedure of auction (reverse auction) in a transparent manner, complying with the guidelines issued from time to time by the Director.

(b) Auction shall be conducted only through the online electronic platform.

(c) The Collector shall utilize any online electronic platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the guideline for compliance to Quality requirements of e-Procurement System issued by the Standardization Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India.

(3) The standard unit for bidding shall be as follows:-

(a) The district-level Committee shall fix a specific amount to be called the ceiling price. This amount will be the standard unit per cubic meter of sand to be extracted.

(b) For the payment as auction amount to the State Government, the bidder shall quote the amount lower than the standard ceiling price as per rupees per cubic meter specified for auction (reverse auction) of the minerals to extract from lease areas.

(c) The auction amount shall be payable on per cubic meter to the State Government according to the quantity of sand despatched.

(4) The process of bidding: -

- (i) The Collector shall publish the notice in departmental website and regional newspaper and display on notice board office of the Collector / Gram Panchayat/ Janpad Panchayat/ Zila Panchayat and Local Urban Bodies concerned for inviting the auction (reverse auction) to initiate procedure of auction (reverse auction). Auction (reverse auction) documents issued by the collector shall contain as follows: -
- (a) The particulars of the area (including the geographical coordinates i.e. latitude and longitude) emphasized and demarcated as per report of delimitation received from the respective Revenue Officer or Mining Inspector/Surveyor;
- (b) Information regarding the mineral availability in the area.
- (ii) Prospective bidders shall be allowed to study the bid documents after release of the notice inviting tenders by providing period of 21 days. After which auction process shall commence. The bids in the manner prescribed in the clause (b) of sub rule (2) shall be accepted till the time as may be described in the Notice Inviting Tender.
- (iii) The bidder who submits the lowest bid shall be declared as the preferred bidder.
- (iv) If two or more bidders submit the same bid quote, then the preferred bidder shall be selected through electronic lottery process from amongst them.
- (v) If a single bid is received in auction (reverse auction) process, the competent authority shall have the power to extend more seven days at the date appointed for submission of bids. If a single bid remains even thereafter, the competent authority shall have the power to accept or reject it.
- (vi) The competent authority shall have the power to annul the bid at any stage for reasons to be recorded in writing.

(vii) In case the bid is less than thirty five percent of the fixed ceiling price, the Bid Security amount to be deposited shall be twice the amount of Bid Security.

(viii) If twice the amount of Bid Security is not deposited according to clause (vii), the submitted bid shall be deemed to be defective and rejected.

(ix) No bid below twenty five percent of the ceiling price shall be acceptable.

(5) In case of any dispute arising in the course of the auction (reverse auction) process, the decision of the Collector shall be final and binding.

8. Order regarding grant of Quarry Lease.— (1) On completion of the process of auction (reverse auction), the preferred bidder shall deposit the Performance Security amount according to rule 5, and on receipt of the Performance Security, the sanctioning authority shall issue a letter of intent to the preferred bidder.

(2) The preferred bidder shall have to apply for the environment clearance after the approval of quarry plan from competent authority within 06 months from the date of issuance of letter of intent.

(3) The preferred bidder shall have to obtain environment clearance within two years for B-1 category of quarry lease and one and half years for B-2 category of quarry lease, on timely completion of the conditions specified in the letter of intent the preferred bidder shall be considered successful bidder. Thereafter the sanctioning authority shall issue quarry lease order to the successful bidder.

9. “Sand Availability Provision” and Security Deposit.— (1) The lessee shall deposit in advance an equivalent amount of annual revenue such as Royalty, DMF, Auction Money/Premium amount, Environment and Infrastructure Cess of approved quarrying quantity (quantity prescribed in Quarry Plan/Environment Clearance/Consent of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981), whichever is less) for sanctioned sand quarry in prescribed government head in 04 instalments under the “Sand Availability Provision” as described in Part-VIII of quarry lease deed in Form-I.

(2) An amount equivalent to 25% of the annual revenue of approved mineral quantity as per sub-rule (1), shall be deposited as “Security Deposit” in the form of bank guarantee for the entire lease period, before the execution of lease deed.

(3) In case of non-compliance of terms and conditions of “Sand Availability Provision”, the security deposit shall be liable to be appropriated and such appropriated amount shall be deposited in the form of security deposit within 15 days.

(4) In case of an equivalent amount of adjusted amount is not deposited as security deposit under the prescribed time in sub-rule (3), the sanctioning authority shall give show-cause notice to the lessee or his assignee as to why such breach should not be penalized and directing him to remedy the breach within fifteen days from the date of notice, if lessee or his assignee fail to remedy the breach within such period, the sanctioning authority, without prejudice to any other action, shall determine the lease and inform in writing.

(5) After the order of determination of the lease, the lease area shall be put up for re-allocation as per the provisions of these rules.

10. Quarry Lease Deed to be executed within ninety days.— (1) Where a quarry lease has been granted, and Security Deposit has been deposited in and accordance with rule 9, the quarry lease deed must be executed in the Form-I within 90 days of the grant order and the same must be registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), and if the deed has not been executed, within the stipulated time the grant order of the lease shall be liable to be revoked.

(2) In case the successful bidder is unable to execute the quarry lease deed within the specified period of ninety days, he may apply for extension of time by depositing a non-refundable amount of rupees 1000/- with the Director before the said period along with the reason to be recorded.

(3) On receipt of an application under sub-rule (2), the Director shall satisfy himself regarding the adequacy and genuineness of the reasons for inability to execute the lease deed, and, on being satisfied, he may grant a further period of time not exceeding ninety days.

11. General Terms and Conditions for quarry and trade of minor mineral ordinary sand.— Every quarry lease shall be subject to the following conditions, namely:-

- (1) The lease holder shall be responsible to deposit in the designated head of account, the royalty on per cubic meter basis as may be prescribed by the Government from time to time,
- (2) The difference between the Ceiling Price and the lowest bid received, or a percentage as may be fixed by the Government, shall be paid by the lease holder to the Government as auction amount.
- (3) The quarry leases granted before the commencement of these rules, where “Gram Panchayat” is defined as lessee, shall also be liable to pay auction money to the government as per sub-rule (2).
- (4) The lease holder shall be responsible to deposit in the designated head of account, the DMF as ten percent of royalty and other taxes, on per cubic meter basis as may be prescribed by the Government from time to time.
- (5) Compliance of “Sand Availability Provisions” shall be mandatory. In case of rainy season and non-demand of sand the lessee shall store in sanctioned storage licence under his own name, within the radius of 10 kilometres from the lease area. In this situation, the lessee shall be exempted the application fee of storage licence.
- (6) Notwithstanding any other action that may be taken in case of default in payment of dues as specified in [sub-rule (1), (2), (3), and (4)] within time under these rules or under any other condition of the lease, the lease holder shall pay interest at the rate of 12% per annum or equivalent to the rate of interest prescribed under Mineral (other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016 whichever is higher for all the default payment.

- (7) The quarrying operations of ordinary sand shall be done in accordance with the approved mining plan. The responsibility for preparing the mining plan and getting the same approved by the competent authority shall be the responsibility of the preferred bidder.
- (8) The mining plan must be prepared only by a recognised qualified person authorized by the Director, Geology and Mining.
- (9) Approval of the mining plan shall be done by the Deputy Director (Mineral Administration) and Mining Officer posted in respective district who must be a postgraduate with Geology as a subject.
- (10) In case, Deputy Director (Mineral Administration) and Mining Officer are not posted in the district, the mining plan shall be approved by the qualified Deputy Director (Mineral Administration) and Mining Officer in the neighbouring district or in the Directorate of Geology and Mining, as authorized by the Director.
- (11) For quarrying of ordinary sand, the lease holder shall obtain from the competent authority, all environmental approvals including water and air pollution consents as applicable under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986) and the rules framed thereunder, and during quarrying operations he shall be responsible for compliance with the terms of these consents.
- (12) The lease holder shall be responsible for construction of a ramp to lead from the approach road to the quarry and for the due repair and maintenance of the same.
- (13) The transportation of ordinary sand shall be done with the Transit Pass in Form-I. For this purpose, application shall be made in Form-II under the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.
- (14) The lease holder shall make necessary arrangements at the quarry-site for issue of Transit Pass for transportation of the mineral.
- (15) No quarrying activity shall be done within a distance of two hundred meters from any bridge or National /State Highway.

- (16) No quarrying activity shall be done within a distance of hundred meters from any natural source of water or dam or reservoir or other structure.
- (17) Quarrying shall be done excluding space on both banks of a river up to a distance equal to 10 percent of the width of the river.
- (18) Quarrying shall be done only up to a depth of three meters from the surface or up to 1 metre from the bed rock of the river.
- (19) Particulars of quarrying shall be furnished on monthly/half-yearly and annual basis, by the lease holder to the Collector concerned, on or before the tenth day of the following month in the prescribed forms in terms of clause (a), (b) and (c) of sub-rule (20) of rule 51 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

Failure to submit the particulars as above, a penalty shall be imposed as prescribed in clause (d) of sub-rule (20) of rule 51 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rule, 2015.

- (20) In every quarry of ordinary sand, the fixed ceiling price (on which the sand must be loaded) and other taxes shall be prominently displayed.
- (21) To the extent feasible, only local manpower shall be deployed to work in the quarry of ordinary sand.
- (22) The orders, rules and instructions of the Court, Central and State Governments, issued from time to time, shall have to be necessarily complied with.
- (23) In the event of violation of the terms and conditions of the lease deed or the provisions of these rules the Performance Security whole or part thereof may be confiscated by the Collector.

12. Right to terminate the lease.- The lessee may terminate the lease at any time by giving not less than six months notice in writing to the sanctioning authority, after paying all outstanding dues to the government and complying conditions of reclamations of quarry closure plan, if applicable.

13. **Use of Information Technology.**— The State Government may use information technology systems to ensure the availability of ordinary sand in an organized manner. The directions issued by the State Government from time to time in this regard will have to be complied with.
14. **Effective Control on illegal quarrying and transportation of ordinary sand.**— Special flying squads shall be constituted at the Directorate, District and Sub-division levels for effective control of illegal quarrying/transportation/storage of ordinary sand and to ensure the environment and safety standards to be complied as per the conditions of environment consent.
15. **Disbursement of Revenue amongst Gram Panchayats/Urban Local Bodies.**— Revenue shall be allocated as per rule 76 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.
16. **Penalty.**— Whenever any person is found to be quarrying/storing/transporting ordinary sand without lawful authority, such action shall be deemed to be an offence under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), and rules made thereunder, and the person shall be liable for penalty in accordance with its provisions.
17. **Appeal and Revision.**— Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, in respect of any order passed under these rules, an appeal or revision shall be made according to the provisions contained in Chapter XIV of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.
18. **Clarification.**— In case of any ambiguity relating to interpretation of any provision in these rules, the provisions contained in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, shall apply.
19. **Repeal and Savings.**— (1) The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019 and the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Schedule Areas) Rules, 2023, and all instruction and orders issued prior to these rules coming into force, shall stand repealed from the date of publication of these Rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any action taken in the past under any direction or order so repealed shall be deemed to be valid unless specifically not inconsistent with provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.

Form-I**Quarry Lease Deed for Ordinary Sand****{{(See rule-10 (1))}}****Ordinary Sand Quarry Lease Deed Agreement**

This agreement, through the Collector Chhattisgarh as a party, the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the "lessor"), and wherein it is relevant to the context, there is also his successor) and the other party (including the name, address and occupation of the person), (hereinafter referred to as the "lessee"), and wherein it is relevant to the context, it also includes his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees)

OR

------(including name, address, business of society or association) and (Including the person's name, designation) (hereinafter referred to as the "lessee"), and wherein it is relevant to the context, it also includes his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees respectively)

OR

..... (Names and addresses of the participants) son of ---
-----resident ----- (all persons is doing business in partnership under names and designations of firm -----
-----(name of firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and its registered office at----- (hereinafter referred to as Lessee), and wherein it is relevant to the context, there is also includes all partners, heirs executors, administrators legal representatives and permitted assignees of said firms

OR

.....
(Names and addresses of the participants) S/o Resident
..... All persons is doing business in partnership under names and designations of firm.....(name of firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) and its registered office is at..... (hereinafter referred to as the "lessee"), and wherein it is relevant to the context, it also includes all partner, heirs, executors, administrators, legal representatives and permitted assignees of said firms)

Or

A company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) ...
..... (name of the company) and its registered office at
(address) (hereinafter referred to as the licensee) and wherein it is relevant to the context, it also includes his successor and permitted assignees)

he and permitted assignee shall be deemed to be included)

Accordingly, the lessee / lessee has, according to the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Business) Rules, 2019 (which is hereinafter referred to as the said rule) quarry lease's Acceptance have been given till years from registration for ordinary sand in respect of lands mentioned in Part-A of the schedule written hereunder.

Thus the lessor has agreed to pay the auction amount at the rate of Rs per cubic meter as per the terms of the auction (reverse auction), for which the amount shall hereafter be called the auction amount. Rs Amount of Executive Security have been deposited as Bank Guarantee / National Savings Letter / Fixed Deposit on the date....., which can be forfeited in whole or part thereof as result of breach of terms of the contract of the auction (reverse auction) and this rule in any way.

So Collector, District has approved the quarry lease of which the map is attached and the area of mine is..... hectare and whose details are given in the lands mentioned in Part-I of the attached schedule, which will now be called "Quarry Lease".

All mines of Ordinary sand (specified herein and in the schedule as the above minerals) in those lands, which are specified in the Part-1 of said schedule, is located in and under, and including the rights, powers and privileges applicable in relation to it, which are mentioned in part-I of the said schedule, subject to the terms and conditions relating to the exercise and enjoyment of such rights, powers and privileges as described in Part-III of the said Schedule, with the exception of and in this lease, premises hereby provide and on lease to lessee for holding for period from the date till (till years) by Reserving the rights, powers and privileges for the State Government as described in Part-IV of the said schedule, so the various rent and royalty as described in Part-V of the said schedule, respectively, shall provide to the State Government at the times which are specified therein, subject to the provisions contained in Part-VI of the said schedule or pay them and the lessee, hereby, makes such contract with the State Government which is expressed in Part-VII of the said schedule, and the lessee, hereby, makes such contract of Sand Availability Provision with the State Government which is expressed in Part-VIII of the said schedule, and the state government hereby undertakes such contract with lessee which is expressed in Part-IX of the schedule and mutually agreed between its parties, which is expressed in Part X of the schedule.

In whose evidence this deed is executed on the date and year written above, in the manner which appears under it.

SCHEDULE

Part-I

Area of lease

All such region (description of the area or areas) of lands situated at gram which is in Gram Panchayat in Tahsil and which Khasra number Total area hectare which has each corner marked in the map attached to it and which is shown in red colour, and whose boundaries of latitude-longitude are as follows: -

A. B. C. D.

Which is hereinafter referred to as "the said land";

Part-II

Subject to such terms and conditions, which are given in Part-III, the rights, powers and privileges exercised and consumed by the lessee

- (1) Entering the land and obtaining minerals and working etc.:- Hereby, during the period of the lease, rights and powers to hereby enter the said land and to acquire, work, carry and disposal regarding procuring of the said mineral.
- (2) Construction of roads and paths etc. and use of existing roads and paths:- Rights and power to use or in relation to such conditions as may be agreed upon by the State Government, to the construction of any roads and paths on or above the said land for any purpose or in relation to the purposes described in this Part.

Part-III

Terms and conditions regarding the exercise of the rights, powers and privileges described in Part-II

- (1) **There will be no buildings etc. at certain places:-** Construction of any transport route or any ground floor works in any public Vihar land, cremation ground or cemetery land or any place considered sacred by any class of persons or in such other place, which the State Government may determine as a public place, will not be done.
- (2) **No mining works shall be conducted within the prohibited distance:-** The lessee shall not undertake any work or mining work at any site within the prohibited distances specified in the sub rules 15,16, 17 and 18 of rule 11 of these rules or will not allow them to do so.
- (3) **Facilities for adjacent government licenses and leases:-** The lessee shall give permission in respect of providing reasonable facilities for access to the existing and prospective holders of government licenses or leases on any such land which is comprised in the land held by the lessee / lessees, or is adjacent to such land, or to which the land is held by him:

Provided that no substantial impedance or interference shall be made by such holders of the licensees or leases regarding the lessee's works under this deed and such reasonable compensation shall be given to the lessee for any loss or damage caused to the lessee due to the exercise of this freedom, as mutually agreed upon, or in case of disagreement, as decided by the State Government.

Part-IV

Reserve rights, powers and privileges of the State Government

- (1) **Construction of tracks, pathways, anicuts, and power grids, etc.**

The State Government or any person authorized by him in this behalf or a lessee shall have power to enter and occupy the said lands for any purpose other than the purposes described in Part-II of this Deed and on, above or beyond to maintain the construction of tracks, roads, anicuts and power grids and to repair to it or to cross through or over them or along with them from any existing tracks, roads, anicuts, power grids and other routes for all purposes as required by any occasion:

Provided that there shall not be substantial impedance or interference with or in relation to the rights and privileges of the lessee / lessees under these deeds, by such other lessee or person in exercising such rights and power and for the loss or damage to the lessee / lessee due to or resulting the exercise of this rights, the lessee / lessee shall be given a reasonable compensation as mutually agreed, or as in the case of disagreement as may be determined by the State Government.

Part-V

Rent and royalty reserved by this lease

(1) Royalty Rates applicable and mode of payment of royalty:- Subject to the provisions of Part I of this Agreement, and for the duration of the lease, the Lessee shall pay royalty to the State Government in respect of any mineral(s) extracted or removed from the lease area. Such royalty shall be calculated in accordance with the 'Sand Availability Provision' and specified in rule 9(1)(C) of this rule and at the rates prescribed in Schedule III of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, as applicable at the time of extraction.

(2) Payment of auction amount (Auction Money):- Auction Money shall be paid at the rate of Rs....., on the quantity per cubic meter of mineral extracted by the lessee as agreed upon based on "Sand Availability Provision" from the quarry lease sanctioned through auction.

(3) Will display rates / prices set by the Government in the mine area:- The lessee shall display a notice board on his own expenditure, showing the ceiling price fixed by the government, royalty, DMF, all cess and other taxes as determined by the Central/State Government.

Part-VI

Provision regarding royalty

(1) Methods of computation of royalty:- For the purposes of computing the above royalty, the lessee shall maintain a correct account of the production of the mineral mined, consumed and dispatched according to the "Sand Availability Provision" as well as the quantity of the mineral, which is in the stock or in the process of export, can be investigated by an officer authorized under this rule.

(2) If the rent and royalty are not paid on time, then action:- Under the terms and conditions of this deed if no rent, royalty or other amount payable to the State Government is paid by the lessee in the prescribed time, the amount may be recovered like revenue land at the rate of 12 Percent Per annum payable thereon or rate of interest specified in Mineral (Other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016 whichever is higher, on the certificate issued by the Deputy Director (Mining Administration)/ Mining Officer/Assistant Mining Officer.

Part-VII

Contracts of Lessee / Lessees

(1) The lessee will pay rent and taxes etc.:- The lessee shall pay the rents and royalty reserved by this lease at such times and in such manner as are provided in Parts 5 and 6 of this Deed, as charged by the Authority of the State Government from time to time.

(2) Displaying information of latitude-longitude and applicable rates showing the mine area:- The lessee shall display, the information of the latitude-longitude showing the area of the mine, on the notice board, according to the demarcation shown in the map attached to this lease at his own expense and keep them maintained and in restoration. It will be clear enough from such bushes and other obstacles that they can be easily identified and the highest fixed value of sand shall be displayed in each sand mine.

- (3) Operations will be started within a month and work will be done efficiently:-** The lessee shall commence work within one month from the date of registration of lease.
- (4) Shall be kept indemnified against all claims to the government:-** The lessee shall pay such reasonable indemnification and compensation and pay thereof as per the law prevailing on that subject, for all such loss, damage or disturbance as may be incurred by him exercising the powers conferred by this lease, as determined by the lawful authority and in respect of any such loss, damage or obstacles against all such claims and all costs and expenses about it, made by any person or any persons, shall indemnify the State Government and shall indemnify completely and as overall.
- (5) Permission of inspection of mines:-** The lessee shall permit any officer authorized under these rules to enter the office of an excavation area or an office located in a premises for the purpose of inspection, testing, survey, prospecting and making its maps, taking samples and collecting any data and the lessee along with such qualified person employed by him, who is familiar with the mine and the works, shall effectively assist to such officer/agents, servant and workers in carrying out such inspection and give all such facilities, information regarding the working of the mines, which they should require objectively and necessarily to do work as per all such orders and regulations, such as the Central or State Government deemed to impose As a result of such inspection or otherwise from time to time and adhere thereto.
- (6) Report of the accident:-** The lessee shall, without delay, send a report of an accident, to the Collector and the concerned police station, which has occurred under this lease in sequence of works which have resulted in death or serious bodily damage or serious damage to property, or to be seriously affected or endangered to life or property.
- (7) Reporting of exploration of other minerals:-** The lessee shall, without delay, report the exploration of any mineral in the lease area which is not specified in the lease, with full details about the nature and condition of each such achievement to the collector, if any mineral which is not specified in the lease, is explored in the lease area, the lessee shall not acquire such mineral, and shall not dispose it of unless such mineral are comprised in the lease or not obtained a separate lease therefor.
- (8) Maintenance of records and accounts about production and employees etc.:-** The lessee shall keep or maintain correct accounts and such perceptible accounts books in such office which are located on or near the said lands, at all times during the said period, which shall contain correct entries from time to time in respect of the following:-
1. Quantity and type of said mineral obtained from the above lands;
 2. The minerals that have been sold, the quantity and the different types separately;
 3. All prices of sell of the said mineral and all other details;
 4. Specifying the Number of persons employed in mines or works on the above lands, nationality, qualifications and salary of technical personnel;
 5. Such other facts, specifications and circumstances about which the State Government may expect from time to time, and such officer at such times as may be appointed by the Central Government or the State Government, the actual and concise summary of all such books of accounts and all or any of the such information about the subject, as prescribed by the State Government, shall be presented free of cost and, at such reasonable times, such officers, as the Central or State Government may appoint in that behalf, shall allow to enter and keep free access to the said offices for the purposes of examining and inspecting the said account books, record and records, and for preparing copies and citations thereof.
- (9) Payment of damages compensation to third parties:-** The lessee, exercising the rights and powers conferred on this deed, shall make reasonable and compensatory compensation for all loss, damage or obstacle done to any person or property and shall be harmlessly saved to the State Government for all such promises, claims and demands at all times and Against thereto, which is done by any person or persons for any loss, damage or obstacle and kept indemnified. In the case of Government land, the lessee shall pay compensation of the amount equal at

percent of the price fixed by the Revenue Department for the land falling in the respective district for each financial year to the State Government.

(10) The lessee shall deposit the required additional amount:- Whenever an executive security of Rs. is deposited thereafter with the State Government to replenish any part of it and the amount is to be surrendered or the State Government is to be used in accordance with the power declared hereinafter, the lessee shall deposit such further amount with the State Government which together with the appropriated portion of the executive securities, is sufficient to bring up to Rs. deposited with the State Government.

(11) Right to pre-emption:- (A) The State Government shall have the right to pre-emption, the said minerals lying in the said lands or elsewhere under the control of the lessee and elsewhere in the said lands hereby transferred on all time from time to time during the said period (which will be used by giving written notice to the lessee) and the lessee shall assign, all minerals as soon as possible or the products or minerals purchased by the State Government under this provision, at such times in such manner and at such places as are specified in the information regarding the exercise of the said rights.

(B) In exercise of the authority conferred by the State Government, the price paid for all the minerals or products of minerals taken in the pre-emption shall be such as the fair market price prevailing at the time of pre-emption.

(12) Recovery of expenses incurred by the State Government:- if any work or matter which is to be done by the lessee in accordance with the contracts contained in it for this purpose, or to be carried out within the time specified for that purpose, is not carried out, then State Government can get it done or get done and the lessee shall pay the State Government all the expenses that are required on this demand, in relation to which the decision of the State Government will be final in relation to cost incurred in carrying out of such work or with complying thereof and such expenditures.

(13) Other obligations:-

- (A) The lessee shall ensure to work in accordance with the approved mining plan and "Sand Availability Provision" under this rule.
- (B) The lessee shall not pay wages lesser than the minimum wages prescribed by Central or State Government under the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948).
- (C) The lessee shall abide by the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (D) The lessee shall abide by the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (E) The lessee shall abide by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) and the rules made thereunder.
- (F) The lessee shall take measures such as plantation, restoration of land, use of pollution control devices for protection of the environment at his own expense and such other measures as may be prescribed by the Collector or any other officer authorized by him from time to time.
- (G) The lessee shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner prescribed in the rules.
- (H) The lessee shall, in relation to employment, give priority to local persons.
- (I) The lessee shall not transport any mineral or its product from the lease area without the valid transport pass as provided in the rules.

Part-VIII**Sand Availability Provision**

1. Quarrying of entire approved quantity of sand, shall be mandatory as described in column-4 of table below.

Year	Approved Quantity as per Approved Quarry Plan (in Cubic Meters)	Approved Quantity as per Environment Clearance/ Air and Water (in Cubic Meters)	Approved Quantity as per Sand Availability Provision (in Cubic Meters) (whichever is less in between column (2) or column (3))
(1)	(2)	(3)	(4)
Year 1			
Year 2			
Year 3			
Year 4			
Year 5			

2. **Submission of Performance Security by Lessee:-** Lessee shall furnish the Performance Security in the form and manner prescribed under sub-rule (2) of rule 9.
3. Lessee shall have to mine 100% of the sand quantity as determined under column 4 of the table of Clause 1. In the event of any shortfall in mining of sand quantity, the Lessee shall be liable to compensate for the loss by an amount equivalent to the payable Royalty, District Mineral Foundation (DMF) contribution, Auction Money/Auction Premium, Environment Cess and Development Cess attributable to the unmined sand quantity.
4. Quarterly Payment of Royalty, District Mineral Foundation (DMF), Auction Money, and other taxes/cess in advance: - The lessee shall, deposit an equivalent amount of revenue payable as determined by the government from time to time for the entire approved quantity of sand (as per the Quarry Plan/Environment Clearance/ Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Air (prevention and control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981, whichever is less) in 4 instalments in advance in prescribed revenue receipt in the manner described in the table below:-

Instalments	Percentage of annual payments (Calculated revenue on quantity as per column-4 of clause-1 of part-8 of this agreement)	Due Date in the First Year
(1)	(2)	(3)
1 st Instalment	20% in Advance	Within 10 days of registration of deed
2 nd Instalment	30% in Advance	Within 10 days of first month of 2 nd Quarter
3 rd Instalment	30% in Advance	Within 10 days of first month of 3 rd Quarter
4 th Instalment	20% in Advance	Within 10 days of first month of 4 th Quarter

Note-

1. The calculation of the quarter shall be from the date of registration of the deed.
2. After the first year of the lease period, the quarterly due dates for subsequent years shall be calculated as per the above table.

5. **Appropriation of Security Deposit and its Maintenance:-** In case of partial or full appropriation of the security deposit, equal to appropriated amount in the form of additional security deposit shall be compulsorily deposited within 15 days of such appropriation.
6. **Deposit of Mineral Revenue and Other Taxes by the Lessee:-** The lessee shall deposit the amount of difference between the ceiling price and minimum bid received as per the provisions mentioned in rule 11(2) in prescribed government revenue head. Thereafter, the transit pass shall be issued after payment of revenue as prescribed in sand availability provision.

Part-IX**Contracts of the State Government**

- (1) **Right to Terminate the Lease:-** The Lessee after paying the revenue in advance as payable on the approved quantity for the next quarter as per sand availability provision may submit an application for termination of the quarry lease to the Sanctioning Authority:

Provided that the lessee shall pay all outstanding dues, including compensation for rents, royalties, damages, and any other amounts payable under this agreement.

The application for the surrender of such mineral shall be made at least three months before such expected date, and shall pledge that it shall not cause any obstruction in the excavation to be done by another person, to whom the subsequent quarry lease for that mineral has been granted in respect of the mineral so surrendered

- (2) **Refund of Performance Security:-** After the termination of this lease or any renewal thereof, on a date determined by the Collector, the amount of security paid in relation to this lease, which is deposited with the State Government in connection with the said lease remains unutilized and is not required for any of the purposes specified under the approved projects related to the lease, such unutilized amount shall be refunded to the lessee. No interest shall be payable on the refunded amount under any circumstances.

Part-X**General Provisions**

- (1) **Obligation for Inspection:-** In cases where the lessee does not permit entry or inspection by authorities authorized by the Central or State Government under these rules, the Collector shall issue a written notice to the lessee, requiring them to show cause within the time specified in the notice as to why the lease should not be terminated and the performance security should not be forfeited. If the lessee fails to satisfy the authority within the said time, the lease may be terminated and the whole or part of the performance security may be forfeited.

- (2) **Penalty in case of Default in Payment of Royalty, Auction Amount and other Taxes, and Breach of Covenants:-** If the lessee defaults in the payment of rent or royalty as required by the rules and acts, or breaches the conditions, the Collector shall issue a show cause notice to the lessee in accordance with this rule, requiring them to rectify the default in payment of rent or royalty or the breach within 60 days of receiving the notice. If the rent and

royalty are not paid or the breach is not remedied within such time, the authority may, without prejudice to any action that may be taken against them, terminate the lease and forfeit the entire amount or part of the performance security deposit, or impose penalties as provided in the rules.

(3) Removal of Property upon Expiration of Lease:- The Lessee shall pay the rent and royalty payable on account of this deed in advance and within three calendar months after the expiry of the said period or after his earlier termination thereof or thereafter unless the lease is terminated under Clause 1 and 2 of this part and in that case at any time about being not less from fifteen days not a within three calendar months from termination , his exploration material established by them that made stand in the said land by the lessee or those may have been installed or maintained and that the lessee is not bound to deliver to the State Government under these rules must be removed.

(4) Forfeiture of Assets, Residual Beyond Three Months Following Lease Termination:- On expiry of the lease period or earlier termination of lease period under clause 3 of Part-X of this schedule. Any engine, machinery, plant, building, structures, and other works, completion works, and other facilities, other property, not required for operations on lands held by the lessee under the quarry lease, are not removed within one calendar month after a written notice given by the Collector to the lessee requiring their removal, then they shall be deemed to be the property of the State Government without any compensation to the lessee or any third party, any liability to pay compensation. The State Government shall be entitled to dispose of, transfer, or otherwise deal with such property in any manner it deems fit.

(5) This lease is executed in the district, and in accordance with Article 220 of the Constitution of India, and it is hereby agreed between the lessee and the lessor that in case of any dispute regarding the recovery of dues under the lease and in relation to the lessee and the lessor, the suit (or appeal) shall be filed in the Civil Courts located in the district of (name of the city), and it is expressly agreed that neither party shall have the right to file any suit, initiate any proceedings, or submit any petition in any court other than the courts mentioned above.

(6) A non-refundable lump sum amount of ₹----- per annum shall be levied as Stamp Duty for the use of the leased area.

(7) Other Conditions:- In witness whereof, this deed has been executed on date in the manner described herein.

Signed by and on behalf of the Governor

(Lessor)

Date

(Lessee)

Date

(Signature and Designation)

Witness

(1)

Signature

Name

Father's or Husband's Name

Address

(2)

Signature

Name

Father's or Husband's Name

Address

Form-1(A)**Supplementary Deed of “Sand Availability Provision” for sanctioned quarry lease under The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019****{See Rule 6(2)}**

This agreement is made between the Collector of Chhattisgarh, acting on behalf of the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as 'Lessor', and where the context so admits, includes his successors in office) as one party, and the other party - (Name of individual, address and occupation) hereinafter referred to as 'Lessee', and where the context so admits, includes his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees).

OR

(Name of Society or Association, address including occupation) and (Name of individual, including designation) (hereinafter referred to as "Lessee", and where the context so admits, includes their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assignees).

OR

And by (.....) Son of, Resident of (Names of Partners, all individuals, trading in partnership under the name and style of (Firm Name) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as Licensee, and where the context so admits, includes all partners of the said firm, their respective successors, executors, legal representatives and permitted assignees).

OR

(Company Name) a company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as Licensee) where the expressions, if the context so admits, include its successors and permitted assignees). Made on this date:../...../20.....

Whereas by virtue of an indenture of lease dated and registered as No. On (date) in the office of the Sub-Registrar of (place) hereinafter referred to as lease the original whereof is attached hereto and marked “A” entered into between the State Government (herein-called the lessor) and therein called the lessee, the lessee is entitled to search for, win and work the mines and minerals in respect of minor mineral Ordinary Sand in the lands described in schedule thereto and also in schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the lessee’s covenant and condition is said deed of lease reserved and contained including a covenant not to assign the lease or any interest there under without the previous sanction of the competent authority.

And whereas the lessor on request of the lessee has granted permission under rule 6(2) of The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025 vide order No. Dated and now upon the condition of the lease entering into an agreement in and containing the terms and conditions hereinafter setforth.

Schedule**Area of lease**

Location and area of lease: -

All such region (description of the area or areas) of lands situated at gram which is in Gram Panchayat in Tahsil/Nikaay..... and whose Khasra number ... Total rakba hectare. which has each corner marked in the map attached to it and which is shown in red colour, and whose boundaries of latitude-longitude are as follows: -

A. B C..... D

Which is hereinafter referred to as "the said land";

Therefore, it is hereby agreed between the parties:

1. The lessee shall comply with all rules/conditions of The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025.
2. Pursuant to the notification dated----- of State Government, The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025 have come into force, in accordance with the rule 6(2) of the said Rules, the validity of previously sanctioned quarry lease shall be extended for a period of one year. Accordingly, the lease period of the quarry lease shall be deemed extended for a period of -----years, commencing from -----and ending on -----.
3. The quarry lease holder shall pay all dues under The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025.
4. The provisions of previously approved Quarry Plan/Environment Clearance/Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 Of 1974) and Air (prevention and control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) consent shall remain in force.
5. The supplementary agreement deed shall be registered under The Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908).
6. The following provisions of "Sand Availability Provision" shall be applicable as under:
 - 6.1 Quarrying of entire approved quantity of sand shall be mandatory as described in column-4 of table below.

Year	Approved Quantity as per Approved Quarry Plan (in Cubic Meters)	Approved Quantity as per Environment Clearance/ Air and Water Consent (in Cubic Meters)	Approved Quantity as per Sand Availability Provision (in Cubic Meters) (whichever is less in between column (2) or column (3)).
(1)	(2)	(3)	(4)
Year 1			
Year 2			
Year 3			
Year 4			
Year 5			

- 6.2 Submission of Performance Security by Lessee:- Lessee shall furnish the Performance Security in the form and manner prescribed under sub- rule (2) of rule 9

6.3 Lessee shall have to mine 100% of the sand quantity as determined under column 4 of the table of Clause 1. In the event of any shortfall in mining of sand quantity, the Lessee shall be liable to compensate for the loss by an amount equivalent to the payable Royalty, District Mineral Foundation (DMF) contribution, Auction Money/Auction Premium, Environment Cess and Development Cess attributable to the unmined sand quantity.

6.4 Quarterly Payment of Royalty, District Mineral Foundation (DMF), Auction Money, and other taxes/cess in advance:- The lessee shall, deposit an equivalent amount of revenue payable as determined by the government in time to time for the entire approved quantity of sand (as per the Quarry Plan/Environment Clearance/ Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and the Air (prevention and control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981), whichever is less) in 4 instalments in advance in prescribed revenue receipt in the manner described table below: -

Instalments	Percentage of annual payments (Calculated revenue on quantity as per column-4 of clause-1 of part-8 of this agreement)	Due Date in the First Year
(1)	(2)	(3)
1 st Instalment	20% in Advance	Within 10 days of registration of deed
2 nd Instalment	30% in Advance	Within 10 days of first month of 2 nd Quarter
3 rd Instalment	30% in Advance	Within 10 days of first month of 3 rd Quarter
4 th Instalment	20% in Advance	Within 10 days of first month of 4 th Quarter

Note-

1. The calculation of the quarter shall be from the date of registration of the deed.
2. After the first year of the lease period, the quarterly due dates for subsequent years shall be calculated as per the above table.

6.5 Appropriation of Security Deposit and its Maintenance:- In case of partial or full appropriation of the security deposit, equal to appropriated amount in the form of additional security deposit shall be compulsorily deposited within 15 days of such appropriation.

6.6 Deposit of Mineral Revenue and Other Taxes by the Lessee:- The lessee shall deposit the amount of difference between the highest ceiling price and minimum bid received as per the provisions mentioned in rule 11(2) in prescribed government revenue head. Thereafter, the transit pass shall be issued after payment of revenue as prescribed in sand availability provision.

7 All other terms and expressions used herein, though not specifically defined under this supplementary agreement, shall, unless the context otherwise requires, bear the same meaning as assigned to them under the original agreement and any subsequent amendments thereto.

- 8 All other terms and conditions under the original agreement executed on -----
----- shall remain as it is.

Signed by and on behalf of the Governor (Lessor)

Date

(Lessee)

Date

(Signature and Designation)

Witness

Signature

Name

Father's or Husband's Name

Address

Signature

Name

Father's or Husband's Name

Address

Form-1(B)**Supplementary Deed of "Sand Availability Provision" for sanctioned quarry lease under The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Schedule Areas) Rules, 2023****{See Rule 6(2)}**

This agreement is made between the Collector of Chhattisgarh, acting on behalf of the Governor of Chhattisgarh (hereinafter referred to as 'Lessor', and where the context so admits, includes his successors in office) as one party, and the other party - (Name of individual, address and occupation) hereinafter referred to as 'Lessee', and where the context so admits, includes his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees).

OR

(Name of Society or Association, address including occupation) and (Name of individual, including designation) (hereinafter referred to as "Lessee", and where the context so admits, includes their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assignees).

OR

And by(.....) Son of, Resident of (Names of Partners, all individuals, trading in partnership under the name and style of (Firm Name) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as Licensee, and where the context so admits, includes all partners of the said firm, their respective successors, executors, legal representatives and permitted assignees).

OR

(Company Name) a company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and having its registered office at (Address) (hereinafter referred to as Licensee) where the expressions, if the context so admits, include its successors and permitted assignees). Made on this date: /.../... /20.....

Whereas by virtue of an indenture of leased dated and registered as No. On (date) in the office of the Sub-Registrar of (place) hereinafter referred to as lease the original whereof is attached hereto and marked "A" entered into between the State Government (herein-called the lessor) and therein called the lessee, the lessee is entitled to search for, win and work the mines and minerals in respect of mineral Ordinary Sand in the lands described in schedule thereto and also in schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the lessee's covenant and condition is said deed of lease reserved and contained including a covenant not to assign the lease or any interest there under without the previous sanction of the competent authority.

And whereas the lessor on request of the lessee has granted permission under rule 6(2) of The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025 vide order No. Dated and now upon the condition of the lease entering into an agreement in and containing the terms and conditions hereinafter setforth.

Schedule**Area of lease****Location and area of lease: -**

All such region (description of the area or areas) of lands situated at gram which is in Gram Panchayat in Tahsil/Nikaay..... and whose Khasra number ... Total area hectare. which has each corner marked in the map attached to it and which is shown in red colour, and whose boundaries of latitude-longitude are as follows: -

B. B C D

Which is hereinafter referred to as "the said land";

Therefore, it is hereby agreed between the parties:

1. The lessee shall comply with all rules/conditions of The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025.
2. Pursuant to the notification dated----- of State Government, The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025 have come into force, in accordance with the rule 6(2) of the said Rules, the validity of previously sanctioned quarry lease shall be extended for a period of one year. Accordingly, the lease period of the quarry lease shall be deemed extended for a period of -----years, commencing from -----and ending on -----.
3. The quarry lease holder shall pay all dues under The Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025.
4. The provisions of previously approved Quarry Plan/Environment Clearance/Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Air (prevention and control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) consent shall remain in force.
5. The supplementary agreement deed shall be registered under The Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908).
6. The following provisions of "Sand Availability Provision" shall be applicable as under:
 - 6.1 Quarrying of entire approved quantity of sand shall be mandatory as described in column-4 of table below.

Year	Approved Quantity as per Approved Quarry Plan (in Cubic Meters)	Approved Quantity as per Environment Clearance/ Air and Water (in Cubic Meters)	Approved Quantity as per Sand Availability Provision (in Cubic Meters) (whichever is less in between column (2) or column (3))
(1)	(2)	(3)	(4)
Year 1			
Year 2			
Year 3			
Year 4			
Year 5			

- 6.2 Submission of Performance Security by Lessee:- Lessee shall furnish the Performance Security in the form and manner prescribed under sub-rule (2) of rule 9.

6.3 Lessee shall have to mine 100% of the sand quantity as determined under column (4) of the table of Clause 1. In the event of any shortfall in mining of sand quantity, the Lessee shall be liable to compensate for the loss by an amount equivalent to the payable Royalty, District Mineral Foundation (DMF) contribution, Auction Money/Auction Premium, Environment Cess and Development Cess attributable to the unmined sand quantity.

6.4 Quarterly Payment of Royalty, District Mineral Foundation (DMF), Auction Money, and other taxes/cess in advance:- The lessee shall, deposit an equivalent amount of revenue payable as determined by the government from time to time for the entire approved quantity of sand (as per the Quarry Plan/Environment Clearance/ Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Air (prevention and control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981), whichever is less) in 4 instalments in advance in prescribed revenue receipt in the manner described in the table below: -

Instalments	Percentage of annual payments (Calculated revenue on quantity as per column-4 of clause-1 of part-8 of this agreement)	Due Date in the First Year
(1)	(2)	(3)
1 st Instalment	20% in Advance	Within 10 days of registration of deed
2 nd Instalment	30% in Advance	Within 10 days of first month of 2 nd Quarter
3 rd Instalment	30% in Advance	Within 10 days of first month of 3 rd Quarter
4 th Instalment	20% in Advance	Within 10 days of first month of 4 th Quarter

Note-

1. The calculation of the quarter shall be from the date of registration of the deed.
2. After the first year of the lease period, the quarterly due dates for subsequent years shall be calculated as per the above table.

6.5 Appropriation of Security Deposit and its Maintenance:- In case of partial or full appropriation of the security deposit, equal to appropriated amount in the form of additional security deposit shall be compulsorily deposited within 15 days of such appropriation.

6.6 Deposit of Mineral Revenue and Other Taxes by the Lessee:- The lessee shall deposit the amount of difference between the highest ceiling price and minimum bid received as per the provisions mentioned in rule 11(2) in prescribed government revenue head. Thereafter, the transit pass shall be issued after payment of revenue as prescribed in sand availability provision.

7 All other terms and expressions used herein, though not specifically defined under this supplementary agreement, shall, unless the context otherwise requires, bear the same meaning as assigned to them under the original agreement and any subsequent amendments thereto.

8 All other terms and conditions under the original agreement executed on -----
----- shall remain as it is.

Signed by and on behalf of the Governor
(Lessor)

Date

(Lessee)

Date

(Signature and Designation)

Witness

Signature

Name

Father's or Husband's Name

Address

Signature

Name

Father's or Husband's Name

Address